

**राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़
की 138वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 138वीं बैठक दिनांक 01/02/2023 को अवधान 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे—

- श्री. दीपक सिंहद, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
- श्री आरवी. शिवारी, सदस्य सचिव, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपर्याप्त एजेंट्सामार अधिकार निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेंट्सामार आयटम अमांक-1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 137वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 एवं 25/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 137वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 एवं 25/01/2022 की आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेंट्सामार आयटम अमांक-2

राज्य सतरीय विशेषज्ञ पूर्वानुमति, छत्तीसगढ़ की 436वीं एवं 437वीं बैठक अमांक दिनांक 29/11/2022 एवं 30/11/2022 की अनुसासा के अधार पर नीय/मूल्य स्थानियों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

- पैसारी चंबरदाल लाईंग स्टोर भाईन (प्रो.—श्री राहुल ओसवाल), याम—चंबरदाल, तहसील व जिला—साजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती अमांक 1438)

ओनलाईन आयेदन — पूर्व में प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 180030/ 2020, दिनांक 26/10/2020 द्वारा ली.ओ.आर हेतु आयेदन किया गया था। कलानि में प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 51635/ 2020, दिनांक 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय सीकृति प्रस्तुत करने के लिए काईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

खदान का विवरण — यह पूर्व से संचालित खुला खदान (नीय स्थानिय) खदान है। खदान याम—चंबरदाल, तहसील व जिला—साजनांदगांव, जल्ला क्रमांक 566/1 एवं 568, कुल क्षेत्रफल—1.125 हेक्टेएर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन शम्भा—6,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2021 हाता प्रकरण शी1 कंटेनरों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित कंटेनरों टम्स ऑफ रिकॉर्ड्स (टीआईआर) फौर है.आई.ए./ई.एच.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकार्डिंग इन्वायर्मेंट कंसीलरेस अप्पर है.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गित अधीक्षी 1(ए) का कंटेनर है.टीआईआर जारी किया गया है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 हाता प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) सामिति की 438वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल ओस्पात्र अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार की रूप में भेसर्स वी एण्ड एम सॉल्युशन, नौस्का, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जायारदादीन उपस्थित हुए। सामिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- प्रस्तुतीकरण के दोस्रा विवरण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इनकट है.आई.ए. रिपोर्ट भेसर्स इमिशन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, फौलकाला द्वारा तैयार किया गया था। भेसर्स इमिशन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकारण वी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यकाली को जारी रखने में असमर्थता याहां की गई। उदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भेसर्स वी एण्ड एम सॉल्युशन, नौस्का, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुदर्टेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उत्तरवाही भेसर्स वी एण्ड एम सॉल्युशन, नौस्का, उत्तरप्रदेश द्वारा विलेखन एवं सरलीकृत (Analyzed and Verified) कर फाईल्स है.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकारण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व भेसर्स वी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चूना पत्थर बादान लकड़ा ज्ञापन 580/1 एवं 581, कुल क्रैकल- 1,

125 हैबटेयर, कागड़ा-6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला सरकारी पर्यावरण समाधार नियोजन प्राधिकरण, जिला-शजनादगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक पैष थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे के बाबत नी की गई कार्यकाली की जानकारी फौलीपापा वाहित प्रस्तुत की गई है। सामिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत दोनों पर्यावरण, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- नियोजित शार्टनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

- विगत वर्षों में किये गये उत्तरवाही की वास्तविक भाजा की जानकारी उत्तरवाही भाजा की हुकाई (Unit) का समावेश कर अद्यतन स्थिति में स्थानिज प्रभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. शाय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराखण्ड एवं कर्नाटक स्थापना के संबंध में जान पंचायत बलूचापुर का दिनांक 10 / 12 / 2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सरकारी योजना — मीडिकाइड ज्वारी प्लान (एसोसिएट इन्डियार्मेंट प्लान एप्ल ज्वारी कलोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो सायुक्त—संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा तकनीकी नवा राष्ट्रपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2218 / खानि 02 / भा.प्ल.अनुशोदन / न.प्र.05 / 2019(3) नवा राष्ट्रपुर, दिनांक 29 / 04 / 2022 हाल अनुमोदित है।
5. 500 ग्रीटर की परिधि में विभिन्न खटान — कार्यालय कलेक्टर (खानि जाला), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 238 / खानि 01 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 27 / 01 / 2021 के अनुसार आवेदित खटान से 500 ग्रीटर के ग्रीतर 6 खटाने, क्षेत्रफल 8.768 हेक्टेयर है।
6. 200 ग्रीटर की परिधि में विभिन्न सार्वजनिक होम / संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खानि जाला), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2637 / खानि 02 / 2019 राजनांदगांव, दिनांक 24 / 10 / 2019 हाला जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खटान से 200 ग्रीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यौनी मंदिर मरिजद, मराघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. लीज का विवरण — पूर्व में लीज स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर थी, जो 5 वर्षों अवधि दिनांक 02 / 05 / 2008 से 01 / 05 / 2013 तक जारी रही थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02 / 05 / 2013 से 01 / 05 / 2018 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज ढोड 20 वर्षों अवधि दिनांक 02 / 05 / 2018 से 01 / 05 / 2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खानि जाला), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1068 / खानि 02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 06 / 08 / 2021 हाला जारी पत्र अनुसार स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर जारी स्थीकृत उत्तराधि पट्टा का हस्तांतरण, उनकी मृत्यु होने के कारण योग अवधि हेतु श्री राहुल ओसवाल के नाम पर किया गया है।
8. भू—स्वामित्व — पूर्व में भूमि रख. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर थी। वर्तमान में भू—स्वामी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव बनमण्डल, जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन ख. / भा.प्र. / न.प्र. 10-1 / 2021 / 2014 राजनांदगांव, दिनांक 02 / 03 / 2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 3.9 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम ज्वारी ग्राम—देवदोगर 210 मीटर, स्कूल ग्राम—देवदोगर 210 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राष्ट्रीय मार्ग 3.75 कि.मी. दूर है।
12. पारिशैस्थितिकीय / यौवनिकिय संवेदनशील होम — परियोजना प्रस्तावक हाल 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, तीनदीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्यूटर लैंग्या, परिस्थितिकीय संवेदनशील होते या घोषित पौरविषयिता होते विषय नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. स्वानन संधार एवं स्वानन का विवरण — जिलोलीजिकल रिजर्व 7,59,375 टन, नाइनेवल रिजर्व 2,11,545 टन एवं रिक्करेवल रिजर्व 1,42,478 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीधा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित होता) वा होमफल 4,107 वर्गमीटर है। ओपन काम्प सेमीमोनाइज्ड लिंग से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम वाहराई 28 मीटर है। लीज होते में कम्पी लिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, जिसका उत्खनन किया जा सकता है। बैथ की छंथाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। स्वानन की संभागित आयु 25 वर्ष है। लीज होते में कम्प उत्थापित नहीं है। लैक हैमर से मिलिंग एवं कट्टोल स्लाइंग किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

14. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की आज 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोर्डवेल के माध्यम से किया जाना जाया गया है। हस बाबा सेन्ट्रल ग्राउन्ड बॉर्टर ऑफीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. वृक्षारोपण कार्य — लीज होते की सीधा में चाहे और 7.5 मीटर की पट्टी में 657 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज होते के नीति पर्यावरणीय प्रक्रियन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (कम्पये)	द्वितीय (कम्पये)	तृतीय (कम्पये)	चतुर्थ (कम्पये)	पंचम (कम्पये)
स्वानन को बाटुकड़ी में (657 नम) वृक्षारोपण हेतु	कुलारोपण (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,932	5,016	5,016	5,016
	कॉलेज हेतु राशि	1,27,900	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,920	610	610	610
	सिंचाई एवं रक्ष- रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,34,856		4,48,752	2,21,526	2,21,526	2,21,526

16. स्वानन की 7.5 मीटर की चौड़ी सीधा पट्टी में उत्खनन — लीज होते के चाहे और 7.5 मीटर की सीधा पट्टी का कुल होतफल 4,107 वर्गमीटर होता है, जिसमें से परिषम दिशा में 862.5 वर्गमीटर होते 4 मीटर की वाहराई तक, उत्खन दिशा में 837.5 वर्गमीटर होते 5 मीटर की वाहराई तक तथा दिशित दिशा में 390 वर्गमीटर होते 6 मीटर की वाहराई तक उत्थापित है जिसका उल्लेख अनुमोदित नॉडिफाईड क्वीटी प्लान में किया गया है। प्रतिवेदित 7.5 मीटर चौड़ी

सीमा पट्टी में अंदर उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को पिल्लू नियमानुसार वैधानिक कर्तव्यही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं डिल्ली द्वारा भीन कोल माइनिंग औजेक्टस के लिए गानक पर्यावरणीय राती जारी की गई है। राती क्रमांक VIII (c) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

गुका मानक राती के अनुसार माइन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी जौन में कृजारोफन किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्फ त्री 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर स्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विवरण दिया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ, एनओ, का सानदण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.87	55.56	60
PM ₁₀	46.64	68.23	100
SO ₂	8.54	15.48	80
NO ₂	10.84	21.09	80

- परियोजना नथल के आसपास जल स्तरों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये हैबल अनुसार कलोलाडग, नाहाड्डेटा, सल्लूर, काबीगेटा, लेह, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सानदण लेवल भारतीय मानक से कम है।
- परिवेशीय व्यनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{dn}	47.89	54.87	75
Night L _{dn}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक बताए गए हैं।

- पी.सी.यू. नी गणना:- भारी वाहनों / नल्टीएक्सल हीवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अव्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (WC ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपर्युक्त 3 पी.सी.यू. की गुणि होगी।

उत्पादनात् कूल 51 फी.सी.यू. प्रतिशेष्टा एवं की/सी अनुपात (v/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी गी-मटोरियल / ग्रीडकट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित नामक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि

vL. की.एल.सी. की गणना –

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities control ROM	65.21	13.0	78.21	100
	ROM Blasting		2.2	87.41	

19. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 ग्रातः 12:00 बजे क्षेत्र – खान खंडाल मध्यम, याम-खंडाल, तहसील-राजनांदगांव, ज़िला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, उत्तीर्णनाड़ पर्यावरण संस्कारण मंडल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, ज़िला-राजनांदगांव के पत्र दिनांक 28/05/2022 हाथा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्य से निम्न सूचाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बुलारीपन का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले घूल से फिल्मों के फराली, मनुष्यों एवं जीव-जन्मजीवों पर बुरा असर पढ़ रहा है।
- ब्लास्टिंग के लाग्य झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में बोर ब्लास्टिंग होने से जासपास के घरों में दूर पहाड़ पर बिल्हा गंडिर में दरारे आ रही हैं।
- खदान के घरों और काटेदार पेंड लगाया जाए जबकि लोहे के तार हाता हीरा कराया जाए। जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
- खदान से उत्पादित छिट्टी पत्थर को घरस्ता में रखा दिया जाता है, जिससे घरस्ता ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कांसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- घूल उत्सर्जन को सेकने के लिए जल उत्पादन किया जाएगा। खदान के घरों और लड्या कच्ची सड़क के बिनारे बुलारीपन किया जाएगा, जिससे घूल या उत्सर्जन बहु न हो जाएगा।

- i. अनुमती कांट्रोलर की नियमानी में ही कांट्रोलर स्टासिटग किया जाएगा, स्टासिटग नियम सार पर किया जाना प्रस्तावित है। स्टासिटग के पूर्व हुए बजाकर एवं ड्रॉक लगाकर लोगों को सूखना की जाएगी।
- ii. लीज लीज के चारों ओर पीछे लगाए जाएंगे, बालुप्पी के चारों ओर कॉसिग कन्साई गई ही जितका संधारण कराया जाएगा।
- iii. खदान से उत्पादित निट्रो एवं पल्थर का रखाय लीज लोअर में किया जाएगा।

21. कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यानीन में आवेदित खदान को शामिल करते हुए कलस्टर में कुल 6 खदाने आते हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान के लक्ष्य निम्न कार्य प्रस्तावित हैं—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
2 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (1,334 मम) युआरोपण हेतु	युआरोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,01,384	10,184	10,184	10,184	10,184
	कॉसिग हेतु राशि	10,67,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	10,020	1,020	1,020	1,020	1,020
	सिंचाई एवं रख—रखाव हेतु राशि	6,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
कुल राशि = 36,83,450		16,10,634	4,43,204	4,43,204	4,43,204	4,43,204

कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
304 गीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नम) युआरोपण हेतु	युआरोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	15,428	1,596	1,596	1,596	1,596
	कॉसिग हेतु राशि	1,62,400	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,530	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख— रखाव हेतु राशि	1,15,640	65,640	65,640	65,640	65,640
कुल राशि = 5,64,662		2,94,998	67,416	67,416	67,416	67,416

22. भास्त बारकर, पर्यावरण, कन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी हुआई ए. अधिकार्यना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. पी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

सामिल का मत है कि कलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खदान के पर्यावरणीय दृष्टिभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलरटर से आने वाले खदानों की उत्थनन गतिविधियों से पर्यावरणीय छटाओं पर पहुँचे वाले दुष्प्रभावों की संक्षाम हेतु बलरटर में आने वाली हीष संचरत खदानों को रामिल करते हुए, बलरटर हेतु कौमन हृष्टायर्सेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कहाई से क्रियान्वित करते जाने हेतु संचालक, संचालनालय, और समिति तथा समिकर्म, हृष्टायर्सी भवन, नवा दायपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (छत्तीसगढ़) के साथ से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना चाहिए होगा।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – करियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्धित तथा उपरान्त निम्नानुस्तार विस्तृत प्रकाश प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51		Following activities at Village- Chawardhal		
Pavitra	Van	Nimman		11.71
			Total	11.71

24. सीईआर के अंतर्गत "परिज्ञ बन निर्भाव" के तहत (धारा 1, चढ़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) गुकारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुस्तार 40 नग पीढ़ी के लिए राशि 3,040 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 37,300 रुपये, लाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंधाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,06,640 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,65,336 रुपये हेतु घटकायाव व्यय बन प्रियरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत परिज्ञ बन हेतु याम प्रबलपत्र अवरद्धन के सहभागि उपरान्त यथायोग्य तथान (खासा इमारत 301/1, कोर्पसल 35541 हैंडटेकर में से 30 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सीईआर के अंतर्गत "परिज्ञ बन निर्भाव" के तहत 40 नग पीढ़ी को लिए राशि 11.71 लाख रुपये खर्च किया जाना काब्य गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सीईआर के अंतर्गत "परिज्ञ बन निर्भाव" के तहत 200 नग पीढ़ी के सेपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. गार्डनिंग लौज सेव के अंदर एवं बाहर साधन गुप्तारोपण किये जाने एवं सोपित वीथी का सार्वाईकल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शापथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्जीवन नीति के तहत स्थानीय लोगों की योग्यता के अन्तर पर सेवानार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. खदान में पत्थर उत्थनन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग बन कार्ड डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग मिलेन्डर (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माइनिंग लौज क्षेत्र में खानिक निवासी को अनुसूचि संग्रहालय कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार संतोष स्थापित कराये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. कौमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट के तहत यह दी गई रक्षा का उपलेंग बर्किंघम के हिसे में किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रक्रमण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लिखित नहीं है इस वाचक शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना वन.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन वन प्रक्रमण लिखित न होने के वाचक शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. जनसुनवाई के दीराम विभिन्न पुढ़वी के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक हात धारी व्यापीओं के समझ दिये गये आवासान को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. एकीकृत होत्रीय कार्यालय बर्किंघम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, शपथपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय रक्षीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त वन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. विवर वर्षी में किये गये उत्तरानन की वापसिक भाँति की जानकारी उत्तरानन भाँति की हकाई (Unit) का वाचावेत कर अदान लिखित में बाहकार उत्पादन की जानकारी खानिक विभाग दी प्रभागित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. ओक्टोबर बर्लिन की भाँति एवं प्रबोधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. भू—जल उपयोग हेतु संचालन व्यवस्था बोर्ड अस्ट्रीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
37. भू—व्यापी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
38. बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेट मेनेजमेंट व्याज लियार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों हारा कौमन इन्हायरीमेट मेनेजमेंट व्याज के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुकंपा कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
39. बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए लैयार कौमन इन्हायरीमेट मेनेजमेंट व्याज हेतु सभी खदानों को असंक्षिप्त एवं देशांतर सक्षित नक्शे में दर्शाये हुये पुनर्लेखित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
40. प्रस्तुत सी.ई.आर के अंतर्गत "परिव्रक वन निर्माण" के तहत 40 नग पीड़ों को लिए राहि 11.71 लाख रुपये रखर्य किया जाना कराया गया है जो कि एक सांकेतिक रूप से नहीं होता है। समिति का नियम है कि सी.ई.आर के अंतर्गत "परिव्रक वन निर्माण" के तहत 250 नग पीड़ों को रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

41. समिति का मत है कि सीईआर, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना का प्रस्तावक वर्ग सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं बृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्केशन हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोफराईटर/प्रतिनिधि, याम पर्यावरण के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नहिं बिल्कुल जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना का प्रस्तावक वर्ग कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत नहिं त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

42. मानवीय एवं जीवी, प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पान्डेय विलद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जोरिजनल एप्लिकेशन नं 188 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया रखारांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानि खाली), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन नं.मांक 238/ख. दि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर के खदाने, क्षेत्रफल 8.760 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-बंधवद्वाल) का क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-बंधवद्वाल) को जिलाकर क्षेत्रफल 9.883 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की घलिये में स्थीकृत/सञ्चालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 क्लासी वर्गीकृत मानी गयी।
2. यूर्ब में जारी पर्यावरणीय नीतिकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत दोबीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंत्रालय जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के छाती और 7.5 मीटर छोड़े सेवटी जीन के बुछ भाग में किये गये उत्तरदान के कारण इस क्षेत्र के उपर्याप्त उपायों (Remedial Measures) के बावें ये तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकरतायों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों का बृक्षारोपण आदि के लिये समुक्ति उपायों बावें संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, इंद्राजाती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (उत्तीर्णगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में आवेद उत्तरदान पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षमी पहुंचाने हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संचालन अंगठी, नवा रायपुर अटल नगर जो आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

6. मास्त सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (वस्तु संशोधित) के प्राक्कर्मनीय एवं वी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलस्टर में आने वाली खदानों की संख्यानन गतिविधियों से पर्यावरणीय पटकों पर पहने वाले प्रभावों की ऊरजावान हेतु कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, कलस्टर हेतु कोग्न इन्डस्ट्रीजोंट नेटवर्कमेट प्राप्त तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खगोली, इंद्रावती भवन, वया राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला – रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
7. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान जारी गई वाचित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 32 से 40 तक) को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की जरूरी की अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की साथांत अनुसंधा जी जारी है।
8. समिति द्वारा विचार किया हुआ उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – गैसर्स बंबरडाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री राहुल ओसवाल) की प्राप्त-बंबरडाल, राहुलील व जिला-राजनाडगाव के पाट और लाला इमार 568/1 एवं 568 में स्थित चूना पत्थर (गोम खण्ड) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.125 हेक्टेयर, कामता-6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की साथांत अनुसंधा जी गई।
- प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकाशन पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संघर्ष 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गस्ती का अकलीकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया हुआ उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया—
1. समिति की अनुसंधा को अनुसंधा करते हुये आवेदक – गैसर्स बंबरडाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री राहुल ओसवाल) की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित जरूरी भित्ति के अनुरूप भित्ति किये जाने की साथांत एवं नियन्त्रनसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की विधियों में ही परियोजना प्रस्तावक को सही पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
 2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान जारी गई वाचित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 32 से 40 तक) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियन्त्रनसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की विधियों में ही परियोजना प्रस्तावक को सही पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
 3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
 4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
 5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of

India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/67/2014-6A.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.
7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संवादक, संचालनालय, भौमिकी तथा सामिकी, इंटरव्हाइट नगर, नगा रायपुर अटल नगर, ज़िला - रायपुर तथा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संख्या मंडल, नगा रायपुर अटल नगर को पत्र सेवा किया जाए।

2. मेसर्स चंबरडाल लाईम स्टोन मार्बिन (प्रो.- श्री सनीर पोददार), ग्राम-चंबरडाल, राहसील व ज़िला-राजनांदगांव (संचिकालय का नम्बरी क्रमांक 1297)

ओगवाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोगात् नगर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 162663/ 2020, दिनांक 06/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया जाया था। यहाँमान में प्रयोगात् नगर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81546/ 2021, दिनांक 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता क्रिया प्राप्त करने के लिए पार्टीनगर ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबंधित चूना पत्थर (ग्रीष्म खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चंबरडाल, राहसील व ज़िला-राजनांदगांव स्थित पाट ओफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल-1.942 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानग कमता-39,900 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/03/2021 द्वारा प्रकल्प श्री 1 कोटेगी का होने के कारण आवास सरकार, पर्यावरण, वन और पालवायु परियोजन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रबलशिल स्टैफ़र्ड टन्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पीर ई.आई.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एकटीकिटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्मेंट गलीकरेत अन्तर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित क्षेत्री 1(ए) का स्टैफ़र्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर जारी किया जाया है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जाया।

बैठक का विवरण -

(अ) सामिति की 438वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी नामीर फोटोर, प्रौद्योगिक संस्थान के सभी मेसर्सी द्वारा एवं परियोजना उत्पादकों द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाई गई—

1. प्रस्तुतीकरण के द्वारा योजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इनपट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्सी इंडियन माईन प्लानर एण्ड कॉन्सलटेंट कॉलकाता द्वारा दीक्षार दिया गया था। मेसर्सी इंडियन माईन प्लानर एण्ड कॉन्सलटेंट द्वारा आवश्यकीय कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्टीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही की जारी रखने में असमर्गता याकूब की गई। राजनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा योजना द्वारा एवं एम पर्सनल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्डरटैकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात योजना द्वारा एम पर्सनल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विवरण एवं सम्पादित (Analyzed and verified) कर कर्तव्य ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित योजना द्वारा एम पर्सनल्यूशन का होना बताया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीकृति संबंधी विवरण—
 - i. पूर्व में यूना पत्तर लुदान घाट औफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल—1.942 हेक्टेयर, कमता—39,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवृत्तिरण प्राधिकरण, जिला—राजनांदगाँव द्वारा पर्यावरणीय स्टीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्टीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
 - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीकृति के सती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोडाक्सा राहित प्रस्तुत की गई है। योग्यता का बता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत श्रीधीय कायालय, भारत सरकार, पर्यावरण, दम एवं जलवायु परिवर्तन नेत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - iii. निर्वाचित शरानुसार मृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. विगत वर्षों में किये गये उत्तराखण की कास्तियिक नामा वी जानकारी अद्यान लिखित में खानिक विवाद से प्रभागित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराखण के संबंध में याम पंचायत रायपुर का दिनांक 18/11/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्तराखण लोजना — नाइंगिंग पत्तन प्रस्तुत किया गया है, जो उप-सांचालक (उप.), संचालनालय, नीमिकी तथा खनिकम् अटल नगर नवा रायपुर के झापन क्रमांक 4322/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुबोधित है।
5. 500 बीटर की परिधि में स्थित लुदान — कायालय कलेक्टर (खनि लाला), जिला—राजनांदगाँव के झापन क्रमांक 1600/ख.लि.02/2022 राजनांदगाँव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित लुदान से 500 बीटर के भीतर 4 लुदाने, कुलक्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (सभी राज्य), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन नमांक 266/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 हात्ता जाती प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर नासिजद, बरधट, असपाल, स्कूल, पुस्तकालय, एनीकट इवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्धित नहीं है।
7. लीज का विवरण – यह शासकीय चूमि है। लीज की समीकर पोदवार के नाम पर है। लीज लीड 5 वर्गी अवधि दिनांक 15/06/2012 से 14/06/2017 तक की अवधि हेतु खैय थी। तत्परतात लीज लीड 15 वर्गी अवधि दिनांक 15/06/2017 से 14/06/2032 तक की अवधि हेतु प्रस्तावित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय बन मण्डल अधिकारी, शासकीय बन मण्डल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन नम./मा.वि./5-18/6081 राजनांदगांव, दिनांक 13/06/2002 से तारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 8 किमी. की दूरी पर है।
10. माहरवपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी शान-घंवरदाल 470 मीटर, स्कूल गाम-घंवरदाल 420 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 किमी. की दूरी पर स्थित है। शासकीय राजमार्ग 11.8 किमी. एवं राजमार्ग 3.3 किमी. दूर है।
11. पारिसंरचनात्मक/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रकल्पक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय लीना, राष्ट्रीय उत्तान, अभयारण्य, कैन्टीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हात्ता घोषित किटटीकली पौल्युटोड एरिया, पारिसंरचनात्मक संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित पिन्ड है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,23,480 टन, माझेवल रिजर्व 2,87,240 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 2,72,878 है। लीज की 7.5 मीटर लीढ़ी सीमा पट्टी (उत्तरान के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) तक क्षेत्रफल 4,900 वर्गमीटर है। औपन कास्ट लीढ़ीमेकेनाईज्म विधि से उत्तरान किया जाता है। उत्तरान की प्रस्तावित अधिकारी गहराई 25 (including Hilllock, maximum height of 9 meter) मीटर है। लीज क्षेत्र में उत्तरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कूल मात्रा 5,730 मानमीटर है जिसका उत्तरान पूर्व में किया जाकर 7.5 मीटर (माझेवल बातचीड़ी) क्षेत्र में फैलाकर क्षारोपण के लिए उपयोग किया गया है। बेष वी कंधाई 1.5 मीटर एवं घोड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षार स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्राउंसिंग किया जाता है। उत्तरान प्रस्तावित उत्तरान का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरान (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्तरान (टन)
प्रथम	42,000	पहला	28,500
द्वितीय	41,250	साप्तम	21,000
तृतीय	40,750	अष्टम	24,000
चतुर्थ	30,375	नवम	15,375
पंचम	25,500	दशम	18,250

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जांच 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरडेल के माध्यम से की जायेगी। इस उत्तर नीन्टर प्राप्ति वीटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. बृक्षारोपण कार्य – लीज बोर्ड की सीमा में छारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,818 नग बृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज बोर्ड के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (कूपयो)	द्वितीय (कूपयो)	तृतीय (कूपयो)	चतुर्थ (कूपयो)	पात्र (कूपयो)
खाद्यान की बाहरी सीमा में (1,818 नग) बृक्षारोपण कार्य	बृक्षारोपण (90 बर्फीलीटर बोर्ड) हेतु राशि	1,38,168	13,832	13,832	13,832
	फोसिया हेतु राशि	1,69,600	—	—	—
	खाद्य हेतु राशि	13,650	1,380	1,380	1,380
	रिचर्ड एवं रख— रखाव हेतु राशि	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 18,12,266		6,87,410	2,31,212	2,31,212	2,31,212

15. खाद्यान की 7.5 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – लीज बोर्ड की बाहरी और 7.5 मीटर की बीड़ी पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,900 बर्फीलीटर बोर्ड है, जिसमें से 1,840 बर्फीलीटर बोर्ड उत्तरानन है, जिसका उत्तरेका अनुसारित माझनिय प्लान में किया जाया है। प्रतिशमित 7.5 मीटर बीड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। सभितो का नहा है कि उत्तरानन 1,840 बर्फीलीटर बोर्ड की बहराई के अनुसार पुनर्जीवन प्लान बनावन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उत्तरेका नीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई वित्ती द्वारा नीन कोल माझनिय प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। शर्त क्रमांक खा. (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माझन लीज बोर्ड के अंदर 7.5 मीटर बीड़े सेवटी जोन में बृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. हंआई.ए. रिपोर्ट का विवरण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी ज्ञानकारी – मौजिटरिंग कार्य भार्य से 15 जून 2021 के नक्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परियोजना वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता

मात्रा, 10 स्थानों पर घनि रहार मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर गिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. पॉलिट्रिप परिणामों के अनुसार बीएम, एसओ, एनओ, का सान्दर्भ लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.87	55.56	60
PM ₁₀	46.64	68.23	100
SO ₂	8.54	15.48	80
NO ₂	10.84	21.09	80

- iii. परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टैक्स अनुसार बलोताइडस, नाइट्रोट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स लेवल आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ लेवल मापात्ति मानक से कम है।

- iv. परियोजनीय घनि रहार—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो सबसे क्षेत्र के निर्धारित मानक सहर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना— भारी याहनी / मल्टीएक्शन हैवी याहनी को समाहित करते हुये ट्रैफिक अच्छायन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघटा एवं की/सी अनुपात (VIC ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 12 पी.सी.यू. की गुणि होगी। तत्पर्यात् कुल 60 पी.सी.यू. प्रतिघटा एवं की/सी अनुपात (VIC ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी है-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन ऐसु सहक भारी की लौद कीरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के मीतर है।

- vi. जी.एल.सी. की गणना —

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
3.	Overall Activities control ROM	65.21	13.0	78.21	100
4.	ROM Blasting		2.2	67.41	

18. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 बजे 12:00 बजे खाली – ग्राम पंचायत भावन, शाम–बैंकरझाल, तहसील–राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव में संचालन हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज वादस्य समिति, एवं राजनीतिक वर्गोंवरण संचालन मंडल, ग्राम नायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पात्र दिनांक 26/06/2022 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

19. यमनसुनवाई के दीरान मुख्य काय से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दृक्षारीपन का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल रो किसानी के फसलों ननुओं एवं जीव-जन्मजीव पर दुरुप्रभाव रहा है।
- स्लासिटंग के समय झाँड़ा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में बौर स्लासिटंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर लिप्त बैंडिर में दरारे आ रही हैं।
- खदान के चारों ओर काटेदार पेड़ लगाया जाए अथवा लोटे के लाइ छाल दीरा कराया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
- खदान से उत्पादित गिट्टी पत्थर को घरस्ता में रख दिया जाता है, जिससे घरस्ता ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दीरान सहाये गये विभिन्न मुद्रदों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से संपरिषद्वा प्रतिनिधि/कंसलटेट का कार्यनिवारण है:-

- धूल उत्पादित की जीकने के लिए जल छिकाव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सफुक के फिरारे दृक्षारीपन किया जाएगा, जिससे धूल का उत्पादन कम हो जाएगा।
- अनुमती काटेकर की भिगड़नी ने ही कंटोर्ल ब्लासिटंग किया जाएगा, ब्लासिटंग गिम्म फतर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लासिटंग के पूर्व हुटर बलाकर एवं झाँड़ा लगाकर लोगों को सूखना दी जाएगी।
- लीज दीव के चारों ओर पीछे लगाये जाएंगे, बाहन्दी के चारों ओर फैशिंग कराई गई थी जिसका संतुलन कराया जाएगा।
- खदान से उत्पादित गिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज दीव में किया जाएगा।

20. बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आधिकारिक खदान को शामिल करते हुये कलस्टर ने कूल 5 खदानों जल्दी ही। अतः बलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कौमन इन्हायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्हायरीमेंटल मैनेजमेंट प्लान के लालू निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
2 कि.मी. का नार्ग के प्रतिशत जीवन	दृक्षारीपन (80) राजनांदगांव	1,01,364	10,184	10,184	10,184

दोनों तरफ (1,334 नग.)	दर) हेतु राशि परिसंचय हेतु राशि	10,67,200	—	—	—	—
कूलारोपण हेतु	खाद हेतु राशि	10,050	1,020	1,020	1,020	1,020
	सिंचाई एवं रक्षा-रक्षाय हेतु राशि	6,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
	कुल राशि = 36,83,450	18,10,634	4,43,204	4,43,204	4,43,204	4,43,204

कौमन इन्हायरीमेट के मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक गी सहमागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण	प्रधन (लाखों)	छिंतीय (लाखों)	तृतीय (लाखों)	चतुर्थ (लाखों)	पंचम (लाखों)
534 मीटर नाम के दोनों तरफ (369 नग.)	पूर्वारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	26,624	2,660	2,660	2,660
कूलारोपण हेतु	परिसंचय हेतु राशि	2,79,200	—	—	—
	खाद हेतु राशि	2,610	270	270	270
	सिंचाई एवं रक्षा- रक्षाय हेतु राशि	1,68,310	1,13,310	1,13,310	1,13,310
	कुल राशि = 9,41,604	4,76,644	1,16,240	1,16,240	1,16,240

21. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी हुआई ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्षणीय एवं जाननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खदान के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहमागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में आने वाले खदानों की संतुलनन योग्यितियों से पर्यावरणीय घटकों पर पहली बाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलस्टर में आने वाली रोध समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा सिंचाई से जिम्मेदार कराये जाने हेतु संक्षेपक, संबोधनालय, नीमिकी तथा स्थानिक, इंद्रावती नदी, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अन्तीसगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उपर्युक्त होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध में जीवन से जीवी उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

			Following activities at Village- Chawardhal		
59	2%	1.18	Pavitra	Van Himmen	11.71
			Total		11.71

23. सीईआर के अंतर्गत "पवित्र बन निर्माण" के लहर (झोवसा, बह, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, चेल आदि) वृक्षरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पीढ़ी के लिए राशि 3,040 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 37,300 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंधार्ह लखा रखा-रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रश्नम वर्ष में कुल राशि 3,06,640 रुपये लखा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,88,336 रुपये हेतु घटकबाद व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के लहर पवित्र बन हेतु द्वाम पंचाक्षर घटकबाल के रहगति संपर्क व्यायाम्य व्यावास (क्रमांक 391/1, शेषकल 95.541 हेक्टेयर में से 30 हिसमिल) के संबंध में जागरकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सीईआर के अंतर्गत "पवित्र बन निर्माण" के लहर 40 नग पीढ़ी के लिए राशि 11.71 लाख रुपये लाभ किया जाना चाहाया गया है जो कि तरह संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सीईआर के अंतर्गत "पवित्र बन निर्माण" के लहर 250 नग पीढ़ी के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. माईनिंग लीज शेष के अंदर एवं बाहर सभी युक्तरोपण किये जाने एवं रोपित पीढ़ी का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु जापव बाबत प्रस्तुत किया गया है।
25. उत्तीर्णगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के लहर रक्षानीव लोगों को योग्यता के आधार पर लोअमार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु जापव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. खदान में यत्थर उत्तरानन हेतु कम लीडल युक्त ब्लारिंग का कार्य डी.एस.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लारिंग दिशेपड़ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत जापव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. माईनिंग लीज शेष में खगित नियमों की अनुसार स्तरीय संशोधित कराये जाने बाबत जापव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. कीमत इन्वायरोमेंट्स मेंेजमेंट के लहर तथ की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत जापव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालंबी प्रक्रमण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है इस बाबत जापव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार वन और जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लघित न होने के बाबत जापव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



31. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
32. विनाश योगी में किये गये उल्लङ्घन की कारबंधिक जाता की जानकारी अद्यतन समिति में समिति विभाग द्वारा प्रभागित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. उत्तराखण्ड 1,840 बर्गमीटर हेक्टर की गहराई के अनुसार पुनर्वाचन प्राप्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. गलस्टर हेटु कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही गलस्टर ने आने वाले समस्त खदानों द्वारा कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुकूल कानून जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. गलस्टर ने आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कौमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनर्वाचित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. समिति का मत है कि सीईआर, कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमागिता, सहकारी के रख-रखाव एवं युक्तारोपण कार्य के भौमिटिंग एवं पर्यावरण हेतु लि-पक्षीय समिति (ओफराइटर/प्रतिनिधि, याम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमागिता, सहकारी के रख-रखाव एवं युक्तारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित लि-पक्षीय समिति से सहकारीय कराया जाना आवश्यक है।
37. प्रस्तुत सीईआर के अंतर्गत 'परिवर्तन वन निर्माण' के तहत 40 नग पीठों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये कार्य किया जाना बताया गया है जो कि तक संगत प्रतित नहीं होता है। समिति का मत है कि सीईआर के अंतर्गत 'परिवर्तन वन निर्माण' के तहत 250 नग पीठों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
38. माननीय एन.डी.टी., प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय पाठ्योदय विकास भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुण्डा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विभार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—



- कार्यालय कालेजर (जिला खाद्या), जिला-राजनीदिवाब के इसपन क्रमांक 1880 / ख.लि.02 / 2022 राजनांदगांव दिनांक 21 / 10 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर 4 खदानों को उत्पादन 5.384 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राच-चंद्रखड़ाल) का कोर्डफल 1.942 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राच-चंद्रखड़ाल) को जिलाकर कोर्डफल 7.326 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की विस्तीर्ण में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल कोर्डफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान वी-1 श्रेणी की मानी जाती है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत होतीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिलाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर गोड़े सेवनी जलों के कुछ भाग में किसे गये उत्तरानन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलायी के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक सपायी यथा शूलांतरण आदि को लिये समुचित सपायी बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
- प्रतिशोधित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन पाये जाने पर नियमनुसार आवश्यक कार्यकारी किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को बताये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यकारी किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्कानी एवं मानवीय एवं जीवी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलस्टर में आने वाली खदानों की उत्तरानन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभायों की सेवनकाम हेतु बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कोनन इन्हांगरीमेट मेनेजमेंट ज्ञान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के शहर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान यही गई वाहिना जलनकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरकार क्रमांक 31 से 37 तक) को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की जरूर की अविन पर्यावरणीय स्थीकृति की सशात् अनुशंसा की जाती है।
- समिति द्वारा विचार विमर्शी उपरात सर्वसम्मति से आवेदक - बैसरी चंद्रखड़ाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री समीर पोदसार) की याच-चंद्रखड़ाल, तहसील व जिला-राजनीदिवाब के पाटी औफ खदान क्रमांक 391 / 1 में स्थित घूना पहर (भौम खनिकर्म) खदान, कुल कोर्डफल-1.942 हेक्टेयर, क्षमता-39,600 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की सशात् अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - सपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 01 / 02 / 2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. साखिति वी अनुशासा को लौटाकर करते हुये आधेदक - मेसर्स बैबरडाल लाइन स्टोन मार्क (प्री-वी साथीर पोददार) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साखिति द्वारा निर्धारित तरीं के अंतर्गत निहित किये गये तरीं का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविध कार्यवाही की जाएगी।
2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान याही नई वाडिता जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल ग्राम्य 31 से 37 तक) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सार्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रद जारी किया जाए।
3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.
6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitats-Issues related to the mining projects wherein Habitats and villages are the part of mine lease areas or Habitats and villages are surrounded by the mine lease area.
7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सुचित किया जाए। साथ ही संघालक, संघालनालय, भौमिकी लघा समिकार्ण, इंद्राकी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण राज्यालय मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की पत्र लेख किया जाए।

3. मेसासी श्रीमती सुगंगा चिंह (बल्दैवपुर लाईंग स्टोन कवारी), जाम-बल्दैवपुर, तहसील-खीरापुर, जिला-राजनांदगांव (संविवालय का नम्रता नम्रांक 1284) औनलाईन आवेदन - पूर्ण में प्रपोजल नम्रत - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 191413 / 2020, दिनांक 12 / 04 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्रत - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72381 / 2021, दिनांक 08 / 08 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्डिनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संबंधित बूना पत्थर (गोण खनिज) खदान है। जाम-बल्दैवपुर, तहसील-खीरापुर, जिला-राजनांदगांव स्थित पाट औफ खसरा नम्रांक 887, कुल क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन नम्रता-10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्ण में एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12 / 04 / 2021 द्वारा प्रकरण 'बी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और गालवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अंग्रेज, 2016 में प्रकाशित स्टैणडर्ड टम्स औफ रिफरेंस (टीओआर) पौर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज लिमिटेडिंग इन्वायरमेंट कंट्रीयरेस अन्धार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गीत थेजी 1(ए) का स्टैणडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

दैतक का विवरण -

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवाशीष, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण खाताहकार के रूप में मेसासी पी एप्ल एम सौल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसीन जयालद्दीन उपसमिति हुए। समिति द्वारा नम्री, प्रस्तुत आनकरणी का अध्यलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाई गई:-

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसासी इनिषियन भाईन प्लानर एप्ल कान्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसासी इनिषियन भाईन प्लानर एप्ल कान्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्कता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसासी पी एप्ल एम सौल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अम्भरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्परतात् मेसासी पी एप्ल एम सौल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं संतापित (Analyzed and verified) कर लाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तराधारित्य मेसासी पी एप्ल एम सौल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्ण में बूना पत्थर खदान पाट औफ खसरा नम्रांक 887, कुल क्षेत्रफल- 0.850 हेक्टेयर, आवेदित उत्तरानन नम्रता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला सत्रीय पर्यावरण उपाधात नियोजित प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध रही।

- i. परियोजना प्रस्तावक हारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की जड़ कार्यवाही वीं जानकारी प्रस्तुत की जड़ है। समिति का बता है कि परियोजना प्रस्तावक हारा एकीकृत होशीर कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, या एवं जलवायु परिवर्तन संचालन, राष्ट्रपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. निर्धारित रातानुसार चूकारीपण नहीं किया गया है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-राजनांदगांव के जापन क्रमांक 590/ख.लि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2021 हारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन वीं जानकारी मिमानुसार है—

वर्ष	उत्खादन (टन)	वर्ष	उत्खादन (टन)
2009–2010	636	2015–2016	निरंक
2010–2011	1,714	2016–2017	निरंक
2011–2012	112	2017–2018	5,209
2012–2013	123	2018–2019	6,120
2013–2014	602	2019–2020	1,630
2014–2015	472	2020–2021	निरंक (दिवान्य 2020 तक)

प्रस्तुतीकरण के दोस्रा परियोजना प्रस्ताव हारा बताया गया कि विगत वर्ष में किए गए उत्खनन वीं वास्तविक भावा की जानकारी हेतु सानिज विभाग, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 10/10/2022 को पत्र लेख किया गया है। समिति का बता है कि विगत वर्ष में किए गए उत्खनन वीं वास्तविक भावा की जानकारी अद्यान रिखति में सानिज विभाग से प्राप्तिकरणकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. याम पंचायत वा अनापरित प्रभाग पत्र — उत्खनन के संबंध में याम पंचायत कल्देयपुर या दिनांक 13/02/2009 का अनापरित प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — मौकिपाइड जारी पत्रान (एलांग विल इन्वायरेंट मैनेजमेंट पत्रान एवं क्लोजर पत्रान) प्रस्तुत किया गया है। जो संयुक्त-संचालक (ज.प.) संचालनालय, भीमिली तथा सानिकर्म, नवा राष्ट्रपुर छट्टल नगर के ज्ञापन क्र. 1804/ख.पि. 02/मा.प्ल.अनुसूचित/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 13/04/2022 हारा अनुसूचित है।
5. 500 बीटर की परिषि में रिखत सादान — कार्यालय कलेक्टर (खानि शास्त्र), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 172/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/01/2021 के अनुसार आवेदित सादान से 500 बीटर के भीतर 12 सादाने, हेक्टेक्स 11.822 हेक्टेक्स है। प्रस्तुतीकरण के दोस्रा परियोजना प्रस्ताव हारा बताया गया कि आवेदित सादान से 500 बीटर के भीतर आविष्कृत अन्य सादानों संबंधी जानकारी हेतु सानिज विभाग, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 10/10/2022 को पत्र लेख किया गया है।
6. 200 बीटर की परिषि में रिखत सार्वजनिक होत्र/सरचनाए — कार्यालय कलेक्टर (खानि शास्त्र), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 6247/ख.लि.

02 / 2020 राजनांदगाव, दिनांक 22 / 12 / 2020 हाथा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्तर खाद्यान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यैसे नहिं नहिं जैविक, बरचट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्राकृतिक क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. भूमि एवं लीज का विवरण — यह ग्रामकीय भूमि है। लीज और श्रीमती सुनन शिंह के नाम पर है। पूर्व में लीज छोड़ 05 वर्षों अवधि दिनांक 18 / 08 / 2009 से 17 / 08 / 2014 तक यैसा थी। तत्पश्चात् लीज छोड़ 25 वर्षों अवधि दिनांक 18 / 08 / 2014 से 17 / 08 / 2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई थी।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — कर्व 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत यही गई है।
9. यन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र — कार्यालय बनगण्डलगिलारी बनगण्डल लौटागढ़, जिला—राजनांदगाव के ज्ञापन क्रमांक/मार्ग/नं.क्र. 25 / 1724 लौटागढ़, दिनांक 02 / 08 / 2020 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम यन क्षेत्र से 5.10 किमी. की दूरी पर है।
10. भृत्यापूर्ण संरक्षनाओं की दूरी — निकटतम आवाही ग्राम—कल्देवपुर 1.5 किमी., बकूल ग्राम—बल्टेवपुर 1.5 किमी. एवं अस्पताल लौटागढ़ 7.5 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 किमी. एवं राजमार्ग 28 किमी. दूर है। ग्रामाव 1.5 किमी. की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परिवोजन प्रस्तावक हाथा 10 किमी. की परिधि ने अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान, अनावरण, केन्द्रीय प्रदूषण निवारण योद्धा हाता घोषित किटिकली पील्लुटेड ऐरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. सानन संपदा एवं स्थान का विवरण — जियोलैंगिकल रिजर्व 3,18,750 टन, नाइनेबल रिजर्व 96,345 टन एवं रिक्क्हरेबल रिजर्व 75,342 टन है। लीज यही 7.5 मीटर लंबी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए उत्तिवित संच) का क्षेत्रफल 4,109 वर्गमीटर है। ओपन कामट सेमीयेकेनाईज़ड विधि से उत्तरानन किया जाता है। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में लघुरी घिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, जिसका उत्तरानन पूर्व में किया जा चुका है। ये यह यही ऊंचाई 3 मीटर एवं गोटाई 3 मीटर है। खाद्यान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जलावर रखायित नहीं है। योकि हैमर से हिस्तिंग एवं कंटोल ब्लारिंग किया जाता है। गर्वावर प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

13. जल आपूर्ति — परिवोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन डॉली है। जल की आपूर्ति बोरडेल के बाह्यन से की जाती है। इस बाह्य सेन्ट्रल ग्राहण मीटर अधीक्षित की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज होर की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में 548 नन वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का नता है कि लीज होर की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीछी फँसिंग, खाद एवं सिक्कार तथा रख-रखाय के लिए 5 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – लीज होर के बासी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,109 वर्गमीटर होता है, जिसमें से उत्थान दिशा में 495 वर्गमीटर होर 4 मीटर की गहराई तक, परिवर्त दिशा में 427.5 वर्गमीटर होर 4 मीटर की गहराई तक, धूर्य दिशा में 172.5 वर्गमीटर होर 5 मीटर की गहराई तक उत्थानित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित भौतिकार्यक्रम की एवं इसमें विद्युत वितरण की विवरण विस्तृत प्रस्ताव के विकल्प नियमानुसार आवश्यक कारबाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 7.5 (c) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार भाईन लीज होर के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जीन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट वा विश्लेषण :-

i. जल एवं वायु जादि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – भौमिकरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के अवधि किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतरांत 11 स्थानों पर वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर झू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 30 पर्यावरणीय सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के गम्नों एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. भौमिकरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₃, का रान्ध्रण लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	9.03	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

iii. परियोजना क्षेत्र के कारापास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शायी गये ठेबल अनुसार

कर्मीराइंडर्स, नाइट्रोटेस, लॉसर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ सेवक भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय घटना रिपोर्ट—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _e	47.89	54.87	75
Night L _e	52.1	46.21	70

जो उक्त होत्र के नियमित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना— मारी गाहनी / मल्टीएक्सल हीपी गाहनी को सामान्यता करते हुये ट्रैफिक अच्छायन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की गुणि होगी। उत्पत्तात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रो-मटरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सहज नार्थ की लोड कैरिन क्षमता नियमित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना —

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m ³) at core area	Calculated GLCs (µg/m ³)	Resultant Concentration (µg/m ³)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) (µg/m ³)
1.	Overall Activities with control ROM	67.15	11.0	78.15	100
2.	ROM Blasting		1.1	68.25	

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान — ग्राम पंचायत भवन कलकाना, शाखा-कलकाना, तहसील-खीरागढ़, गिला-रायगढ़दगांव में संवन्धन हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य संविधि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संकाय नेहल, नवा रायपुर अटल नगर, गिला-रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 हाला प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हाला बताया गया कि आवेदित खदान को लापिल करते हुये बलस्टर में कुल 14 खदाने आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों हाला पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं ऐसे खदानों को पूर्ण से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों हाला सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न शुल्क/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से खदान के लिए सुखारीपण का कार्य अतिरिक्त करने की कृपा करें। लौज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारों तरफ तार कांटों का घेरा जिन्हा जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर मिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो सकती है।
- ii. हीरी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े के लौज में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व जिसी प्रक्रिया से सुखना नहीं दी जाती है, जिससे लौज में कार्यस्त मतदूर शारीरिक क्षति होती है।
- iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बोंब समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खेती में पानी नहीं पहुंच पाता। नांद में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं संकप्त है। नाली बना नहीं है, नाली औ बना हुआ था को दूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली के बनवाने का जागरूक जिन्हा जाए।
- iv. प्राव्यनिषेचन के आधार पर संबंधित जानी के लौजों को ही सेजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही प्राव्य के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं संपलवा कराई जाए।

लौक सुनवाई के दौरान उठाये गये जिम्मा मुददों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से संघरित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. प्रदूषण का मुख्य कारण यूल उत्तरार्द्ध है, जिसे लौकने के लिए पानी का छिनकाव किया जाएगा। खदान की चारी ओर तथा कच्ची पर्याक के किनारे सुखारीपण किया जाएगा जिससे यूल का उत्तरार्द्ध कम हो जाएगा। खदान की चारी तरफ से कटीले ताँते से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।
- ii. अनुभवी कॉटेक्टर की नियन्त्रणी में ही कट्टील्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग नियन्त्रण स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बयाकर लौगों को सुखना दी जाएगी।
- iii. हथारे हारा नालियों का जीर्णिहार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी जिचाई के लिए प्रदान करेंगे।
- iv. रिक्षित बैरोजगारी को योग्यता के आधार पर सेजबार हेतु प्रब्लमिक्या दी जायेगी। ग्रामियों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जिहिर लगाया जाएगा।

21. कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अधिकृत खदान को शामिल करने हुए कलस्टर में यूल 14 खदानें जाती हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों हारा कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्हायरीमेटल मैनेजमेंट प्लान के तहत नियन्त्रण कार्य प्रस्तावित है:-

नियन्त्रण	प्रथम (लघुव)	द्वितीय (लघुव)	तृतीय (लघुव)	चतुर्थ (लघुव)	पंचम (लघुव)
3.7 कि.मी. पहुंच गार्म की दौर्यों दर) हेतु जाहि	सुखारीपण (80 प्रतिवार जीवन 1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772

तरफ (2,467 नव)	कॉलिंग हेतु राशि	19,73,800	—	—	—	—
कृषारोपण हेतु	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
कृषि	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
	कुल राशि = 70,93,020	35,54,482	8,84,632	8,84,632	8,84,632	8,84,632

जीमन इन्हायरोमेट एनजीटी प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होती:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तीसीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
227 ग्राम के दोनों तरफ (151 नव)	कृषारोपण (20 ग्रामियां जीवन दर) हेतु राशि	11,476	1,140	1,140	1,140	1,140
	कॉलिंग हेतु राशि	1,20,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,140	120	120	120	120
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	87,248	62,248	62,248	62,248	62,248
कुल राशि = 4,74,696		2,20,664	63,508	63,508	63,508	63,508

22. भावत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पर्यावरणीय) के प्राक्षानों एवं माननीय एन.पी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलस्टर हेतु जीमन इन्हायरोमेट एनजीटी प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का नत है कि कलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथान हेतु खदानों की किसी एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का नत है कि कलस्टर में आगे बाले खदानों की उत्थानन नियिकियों से पर्यावरणीय घटकों पर धड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथान हेतु बलस्टर में आगे बाली हीष समस्त खदानों को शामिल बनाये हुये, बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेट एनजीटी प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित करवाये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, नीमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छलीसगढ़) के सबसे से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना चाहिए होगा।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्धित एवं वर्ती उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41	2%	0.82	Following activities at Village- Baldevpur	

		Pavitra Nirman	Van	12.70
		Total		12.70

24. सीईआर. के आंतरिक "परिवेश बन नियांण" के तहत (जॉयला, बड़, पीपल, गीम, आम, झट्टुन, बेल आदि) मृगारोपण हेतु प्रस्तुत प्रकाश अनुशासन 400 जन पौष्टि के लिए राशि 30,400 रुपये, कोसिंग के लिए राशि 83,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, शिशाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकाश प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रुपये हेतु पटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर. के तहत परिवेश बन हेतु जान धन्यायत बल्टेवपुर के सहमति उपरांत यश्चापोन्न रुधान (जनरल प्रभाकर 787/1, शेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
25. कलहटर में आपे वाले रामवत खादानों के लिए रीयार बीमन इन्वायर्नेंट मेनेजमेंट म्सान हेतु सभी खादानों को अकाश एवं देशांतर सहित नवां में दर्शाये हुये प्रस्तुत किया गया है।
26. मार्किन लीज क्लॉब से विसी प्रकाश का दृष्टित जल (यदि उत्तरांजन होता है तो) का प्रकाश प्राकृतिक जल स्त्रोत, नदी, नाला, लालाब आदि में नहीं किया जाएगा इस बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
27. परियोजना प्रकाशक पर प्रस्तावित खादान के संबंध में विसी भी प्रकाश की कोई न्यायालंकीन प्रकाश देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस बाबत शापथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
28. परियोजना प्रकाशक पर भाला सरकार, बन और उत्तरांजु परियोजन मंत्रालय अधिसूचना का आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकाश लंबित न होने के बाबत शापथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
29. एकीकृत क्लॉबीय कार्यालय, भाला सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राबपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
30. विगत वर्षों में किए गए उत्थानन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अधारन लिखति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
31. अद्वान लिखति में आयोडिट खादान से 500 बीटर के भीतर अवशिष्ट अन्य खादानों संबंधी जानकारी हेतु खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
32. सीज क्लॉब की सीमा में वारी और 7.5 बीटर भी बट्टी में मृगारोपण हेतु पौष्टि, कोसिंग, खाद एवं शिशाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. मार्किन लीज क्लॉब के अंदर एवं बाहर संघर्ष ड्रारोपण किये जाने एवं संभित पौष्टि का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शापथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीठि के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के अधार पर रोजगार में प्राप्तनिकता दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

35. खदान में पत्तर उत्खनन हेतु कम सीधता पुकार ब्लॉकिंग का कार्य द्वीजी एम एस द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लॉकिंग होल्डर (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाले आपत्ति पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. माईनिंग लीज क्षेत्र में प्रयुक्तिभूत ब्लॉक सापर्टर्स के समर्थन दिनांकों/संखानों पर परियोजना प्रस्तावका द्वारा विशेषित पाल ग्रिफिकाव कराये जाने वाले आपत्ति पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

37. माईनिंग लीज क्षेत्र में समिति निवासी के अनुसय सीमांकन कारबाह खदान की सीमा में नियन्त्रानुसार सांभ स्थापित कराये जाने वाले आपत्ति पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

38. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र याप्तेय विस्तृद भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विनश संघर्षोत्त सर्वसाम्मति से निम्नानुसार विशेष लिया गया:-

- कायालिय कलेक्टर (खंडि राया), जिला-रायनांदगांव, दिनांक 172/ख. लि.03/2021 रायनांदगांव, दिनांक 22/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानों, क्षेत्रफल 11.822 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राम-बल्देवपुर) का क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम-बल्देवपुर) की मिलाकर क्षेत्रफल 12.672 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संकलित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान की-1 क्षेत्री की मानी गयी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का वालन द्रष्टिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कायालिय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।
- माईन लीज क्षेत्र की सारी ओर 7.5 मीटर छोड़ सीफटी जोन के कुछ भाग में विशेष रूप से उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायी (Remedial Measures) के संबंध में रुथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु आवश्यक रुथायी यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायी वाचत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी रुथा खनिकर्म, झंडावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा पत्र लेखा किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ सीमा पट्टी में अपैत्र उत्खनन वाले जाने पर नियन्त्रानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी रुथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को कार्य प्रदूषाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न

मंडल, नवा रायपुर जटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानी एवं जाननीष एवं ग्रीटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जलस्टर में आने वाली खदानों की उत्तराधिकारियों से पर्यावरणीय घटकों पर पहने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु जलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, जलस्टर हेतु कौमन इन्वेष्टिमेंट मेंबर्सिप प्लान तैयार किये जाने तथा कियाजित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खुनिकर्म, हंडावटी भवन, नवा रायपुर जटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के सतर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
6. एसईएसी, छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान याही गई वाहित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सारल छान्क 26 से 37 तक) को एसईएसी, छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थीरकृति की सतही अनुरांत्रा की जाती है।
7. समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईन स्टोन ब्यारी) की दाम-बल्देवपुर, तहसील-झीरापाड़, जिला-राजनांदगांव को पाई जीक खासा छान्क 667 में स्थित घूना पत्थर (भीग खुनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर, शास्त्रा-10,000 टन प्रतिकर्व हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति दिए जाने की सतही अनुरांत्रा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को साप्तम्य 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी का अपलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुरांत्रा को स्थीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईन स्टोन ब्यारी) को पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्णायित शर्तों को अंतर्भूत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विचिका कार्यवाही की जाएगी।
2. एसईएसी, छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान याही गई वाहित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सारल छान्क 26 से 37 तक) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं निष्पानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही वरियोजना प्रकाशक को सतही पर्यावरणीय स्थीरकृति पत्र जारी किया जाए।
3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid

by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.III(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.
7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। याथ ही संचालक, संचालनालय, भौगोलिक तथा सामिकी, इंट्रावली चबूत, तथा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी नंदेश, तथा रायपुर अटल नगर को प्रभं संख्या किया जाए।

4. मैसर्स ईरा डिव्हिंग अर्थ कारो (प्रो.- श्री अग्निधेक चक्रवारी), पाठ-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (साधिवालय का नम्रता क्रमांक 2131) ऑनलाईन आवेदन – प्रबोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 200904 /2022, दिनांक 17 /08 /2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह समता प्रस्ताव का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गैज खनिज) खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान चाच-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव लिथो खासा क्रमांक 483, 490(पाटी), 493(पाटी), 494(पाटी), 495 / 2, 496(पाटी), 482, 484(पाटी), 476 / 1, 478 / 2, 477, 478, 479, 480, 481, 495 / 1, 495 / 4(पाटी) एवं 495 / 5(पाटी), कुल क्षेत्रफल – 2.84 हेक्टेयर में है। खदान की आधिकारिक मिट्टी उत्खनन क्षमता–3,200 चौनीटर (32,00,000 नग ईंट) प्रतियार्थी है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ल्लापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नम्रता, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति सांबंधी विवरण—

1. पूर्व में मिट्टी खदान खासा क्रमांक 475, 478, 482, 483, 494, 496, 494, 493, 490, 492, 476 / 1, 476 / 2, 495, 479, 480, 481, 477 एवं 499, कुल

कोप्रफल—4.682 हेक्टेनर, आवेदित उत्खनन क्षमता—3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हैं। जिला स्लोय पर्यावरण समाधार निधारण प्राधिकरण, जिला—राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्थीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

- i. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भास्त सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- ii. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के द्वापन इमारत 1971/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/11/2022 द्वारा विभागीय में किये गये उत्खनन की जानकारी विम्बानुसार है—

वर्ष	उत्खादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,800
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरेक

- iv. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की केवल दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी। परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2020—21 में भी उत्खनन किया गया है। साथ ही विभाग वर्षी में किये गये उत्खनन की प्रस्तुत यानकारी अनुसार इमारत विलीय वर्ष 2019—20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) एवं 2020—21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में इमारत उत्खनन 3,200 घनमीटर एवं 6,500 घनमीटर किया गया है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की उत्खनन क्षमता (3,000 घनमीटर प्रतिवर्षी) से अधिक है। अतः यह प्रकरण उल्लंघन की खेजी या है।

समिति का मत है कि भास्त सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस नेमोरेष्टम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणी हैंआई.ए./ई.एम.पी. हीयार किये जाने हैं। टी.ओ.आर. के लिए विहित प्राकृत्य में ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विभार विभारी सुधारात् सर्वसम्मति से परियोगना प्रस्तावक के आवेदन को डि—लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा हैआई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा वालोधित) के तहत पालन करते हुए चुन. टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विभार — सुधारोक्त स्प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संबन्ध 138वीं बैठक में विभार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती या अपलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/01/2023 के बाब्यन से विम्बानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की गई है—

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के द्वापन इमारत 105/ख.लि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 13/01/2023 द्वारा विभागीय में किये गये उत्खनन की जानकारी विम्बानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,000
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरंक

मिट्टी 42 प्रतिशत, पलाई ऐसा 52 प्रतिशत एवं कोल ऐसा 6 प्रतिशत = 100 प्रतिशत उत्पादन में समिलित है।

2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि "उत्पादन की जो जानकारी खानिक विभाग के हाथ से गई थी उसमें पलाई ऐसा की मात्रा समाहित थी, इस कांक्षा में पुनः उत्पादन की जानकारी खानिक विभाग से दिनांक 13/01/2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उल्लेखित वार्षिक उत्पादन में 42 प्रतिशत मिट्टी, 52 प्रतिशत पलाई ऐसा, 6 प्रतिशत कोल ऐसा समिलित है जैसे कि जारी उत्पादन प्रभाग पत्र में दर्शीत मात्रा का मात्र 42 प्रतिशत मिट्टी है जो कि पर्यावरण स्वीकृति शक्ति के अन्दर है। चाक खदान की पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि दिनांक 31/03/2020 तक ही थी जैसे MoEF&CC के ओएम दिनांक 25/03/2020 के अनुसार 16/03/2020 से 30/04/2020 के बीच के कालाघण्डी की पर्यावरण स्वीकृति को 30/06/2020 तक विस्तारित किया गया था एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता जिसकी विधिमान्यता वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाप्त हो रही है, को 31 मार्च 2021 या विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से एवं पारा, जो भी बाद हो, तक विस्तारित किया जाना समझा जाएगा एवं MoEF&CC के अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और उत्पादनात् इसके नियन्त्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (बॉल या ऑफिळ) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपकरणों के अधीन संतुर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की सदर्श की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विभार नहीं किया जाएगा, तथापि उस पर्यावरण अनापत्ति के संक्षेप में इस अवधि के दीरान अपनाए गए सभी विधिकालाय विधिमान्य समझे जाएंगे। उपरोक्त अधिसूचना एवं ओएम के अनुसार जारी पर्यावरण स्वीकृति में हमारे हाथ किसी प्रकार का पर्यावरण स्वीकृति का उल्लंघन वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में भी नहीं किया गया है तथा उत्पादन पर्यावरण स्वीकृति को अनुकूल किया गया है जो कि जारी पर्यावरण स्वीकृति से ज्यादा नहीं है।"

अतः परियोजना प्रस्तावक हाता प्रकरण में पुनर्विवार कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण हाता विभार विभार उपरांत सर्वसम्मति से विर्णव लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के परिषेक में परीक्षण उपरोक्त अनुशासन किये जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के सभा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

ऐसईएसी, छत्तीसगढ़ को उपानुसार सूचित किया जाए।

३. नेशनल अछोली कर्मी पत्रकर माईन (डो.—श्री पारसमणी चन्द्राकर) पाय—अछोली, तहसील व जिला—महासमुद्र (संविवालय का नस्ती क्रमांक 2134)

ऑनलाइन आवेदन — इंटरेजल नम्र — एसआईए /श्रीजी /एसआईए / 82387 / 2022, दिनांक 18 / 08 / 2022 हाथा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित कर्मी पत्रकर (गौप स्थानिज) सदान है। सदान नाम—अछोली, तहसील व जिला—महासमुद्र लिखत पाटे और सासक क्रमांक 1168 / 2, कूल क्रमांक 1-95 हेक्टेकर में प्रस्तावित है। सदान की आवेदित उत्तरान क्रमांक 1,947.5 बानमीटर (4,874 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुवार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए सी. छलीसमुद्र के कायन दिनांक 23 / 11 / 2022 हाथा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) सभिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पारसमणी चन्द्राकर, प्रोफराइटर उपसिंधत हुए। सभिति हाथा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अनुसोधन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्दि पाई गई—

- सूची में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस सदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरान के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 07 / 08 / 2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्तरान योग्यता — कर्मी पत्रक, इन्हावरीयेट ऐनेजमेंट पत्रक एवं कर्मी क्लॉजर पर्सन प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, सभिति की तथा स्थितिकर्ता, नवा रायगुर अटल नम्र के ज्ञापन क्रमांक 3886 / खनि 02 / मा.प्ल.अनुसीदन / न.ङ. 02 / 2019(1) नवा रायगुर, दिनांक 18 / 07 / 2022 हाथा अनुसोधित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित सदान — कार्यालय क्लैवटर (ख.पिंज शासा), जिला—महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 989 / क / खलि / न.ङ. 02 / 2022 महासमुद्र, दिनांक 02 / 08 / 2022 के अनुसार आवेदित सदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य सदानों की संख्या 29 सदान, क्लैबफल 23.54 हेक्टेकर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्लैब / संरचनाएं — कार्यालय क्लैवटर (ख.पिंज शासा), जिला—महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 989 / क / खलि / न.ङ. 02 / 2022 महासमुद्र, दिनांक 02 / 08 / 2022 हाथा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त सदान से 200 मीटर की परिधि में क्लैब की सार्वजनिक क्लैब जैसे बिंदिर, गरधट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्लैब निर्मित नहीं हैं।
- भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण — भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री पारसमणी चन्द्राकर के नाम पर है जो कार्यालय क्लैवटर (ख.पिंज शासा), जिला—महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 660 / क / ल.प. / खलि / न.ङ. 02 / 2022 महासमुद्र, दिनांक

17 / 05 / 2022 इस जारी गई, जिसकी पैमाना यारी दिनांक से + जर्म की अवधि तक है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत गई है।
8. बन नियाम का अनापत्ति प्रभाग पत्र – काशीलय बनबंडलसमियारी, सामान्य बनबंडल, जिला—महाराष्ट्र के इतावन छानाक / मा.पि. / 1783 महाराष्ट्र, दिनांक 21 / 04 / 2022 से जारी अनापत्ति प्रभाग पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र से 6 किमी. की दूरी पर स्थित है।
9. नहरवपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम अवासी गांव—अठोली 360 मीटर, स्कूल गांव—अठोली 400 मीटर एवं अग्रतातम भारतमुंद 12.5 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सड़कमार्ग 4.66 किमी. एवं राजमार्ग 17.36 किमी. दूर है। नहानदी 2.2 किमी., नौसमी नाला 900 मीटर, तालाब 870 मीटर एवं नहर 500 मीटर दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. गी परियोजना ने अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान, अन्यायपद्धति, कौशिकीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटिकली पॉल्यूटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संघर्ष एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,80,800 टन, भाईनेश्वर रिजर्व लगभग 1,58,280 टन एवं लिंग्वरेश्वर रिजर्व लगभग 1,50,388 टन है। लौज की 7.5 मीटर और सीमा पट्टी (उल्कनन के लिए प्रतिशेषित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.925 घनमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उल्कनन किया जाएगा। उल्कनन की प्रस्तावित अधिकतम वहराई 8 मीटर है। लौज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की भौटिकी 0.25 मीटर है तथा कुल गांव 3,393.75 घनमीटर है। ओक्सर बर्डन की भौटिकी 1.75 मीटर है तथा कुल गांव 23,758.25 घनमीटर है। ये पर्याप्त 3 मीटर एवं और 3 मीटर हैं। खदान की संभावित आयु 37 वर्ष है। लौज क्षेत्र में क्रमान्वयित फिल्ड जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान वे यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का उत्कर्ष किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उल्कनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उल्कनन (टन)
झथन	3,800
हिलीय	3,990
दृतीय	4,874
चतुर्थ	4,210
पঞ্চম	3,728

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवायक जल की गांव 7.12 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के पाइप में हो की जाएगी। इस बाबत रोक्ट्रो प्राउजेक्ट ऑपरेटरी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. मुकाबोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 591 नया मुकाबोपण किया जाएगा।



14. खदान की 7.5 बीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन - सीज लेव के बारे और 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन कार्य गही किया गया है।
15. माननीय एन.जी.टी., डिसिपल बैच, नह दिल्ली द्वारा रखेंद्र पार्क्सेप विश्वव भारत सरकार, पश्चिमरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नह दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्रा कर से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार दिनशी उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (बनिज शाखा), जिला—महाराष्ट्र के ज्ञापन अंक १११/क/सालि/न.क्र. ०२/२०२२ महाराष्ट्र, दिनांक ०२/०८/२०२२ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० बीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या २९ खदाने, क्षेत्रफल २३.५४ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (दाम—अछोली) का रक्षा १.४५ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—अछोली) को मिलाकर कुल रक्षा २५.४९ हेक्टेयर है। खदान की सीमा से ५०० बीटर की पर्यामि में कटीकृत/संधारित खदानों का कुल हेक्टेयर ५ हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' केरी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार दिनशी उपस्थित सर्वसम्मति से प्रकारण 'बी1' कोटेगमी का होने के कारण मारत सरकार, पश्चिमरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैफर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट/एफटीडीटीज रिफ्लारेंस इन्वायरमेंट बलीयरेस अप्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में घोषित नं. १(ए) का स्टैफर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नं.१ कोल नाईशिंग प्रोजेक्ट/से हेतु निम्न लिस्टिंग टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशासा की गई—
 - Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में घियार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 01 / 02 / 2023 को संवन्धन 138वीं बैठक ने घियार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा घियार घिम्झा लापत्ति सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को सहीकार करते हुये उपरोक्तानुशासा टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई समिति) जारी करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) जारी किया जाए।

- गैसर्स टिल्पति विनरल्स पाइपल लिमिटेड (र्फीयरेक्टर.— श्री प्रभोद आचार्य), ग्राम—हथनेवरा, तहसील—बांधा, जिला—जाओजगीर—बांधा (संचिवालग का नस्ती क्रमांक 2133)

जीवलाईन आवेदन — प्रपोज्झ नम्बर — एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 82435 / 2022, दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम—हथनेवरा, तहसील—बांधा, जिला—जाओजगीर—बांधा नियत खासरा क्रमांक 497, 502, 508 एवं अन्य 36, कूल दीक्षाता—4.616 हेक्टेयर में कोल बीशोरी अमता—0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का लिपियोग क्षमता 22.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., समीक्षण के आगे दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रबोद अग्रवाल, डीवरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के काम में मेसर्स पायोनीर इन्डिया लेवोरेटरी एण्ड कॉन्सल्टेंस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दीर्घ बताया गया कि कौल बीशरी स्थापना हेतु निम्न 3 स्थलों का अध्ययन किया गया—

- I. ग्राम—घटिया, जियोग्राफिक को—ऑडिगेट $21^{\circ} 26' 58.91''\text{N}$, $81^{\circ} 56' 47.20''\text{E}$
 - II. ग्राम—हथनेवरा, जियोग्राफिक को—ऑडिगेट $21^{\circ} 59' 4.28''\text{N}$, $82^{\circ} 41' 43.90''\text{E}$
 - III. ग्राम—अटरी, जियोग्राफिक को—ऑडिगेट $21^{\circ} 58' 54.03''\text{N}$, $81^{\circ} 59' 21.41''\text{E}$
- उक्त स्थलों का विभिन्न तटीय/दिन्दुर्लो पर उपर्युक्त प्रस्तावित स्थल (ग्राम—हथनेवरा, ताहसील—गांपा, जिला—जांजगीर—गांपा) को उपयुक्त पाने जाने पर चयनित किया गया है।

2. निकटतम स्थिति क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- * निकटतम आवादी ग्राम—हथनेवरा 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति घांपा 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। किमानपल्टन, बिलासपुर 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.9 कि.मी. एवं जलमन्दिर नाला 500 मीटर दूर है। नहर परिसर से लगी हुई है।
- * परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिमि में ऊरार्जवीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अभयासाम्, बोन्डीय प्रदूषण विवरण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र वा स्थिति जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. शुमारिता — भूमि मेसर्स लिमिटेड निम्नलिख प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
4. लेञ्ज एरिया स्टेटमेंट — कुल क्षेत्रफल 4.616 हेक्टेयर (11.406 एकड़) है। जिसमें बिल्टअप का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर, री—कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, बारड—कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर, रिजेक्टस कटीरेज का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर और कोसिलिटी का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर एवं बीन बेल्ट का क्षेत्रफल 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का नता है कि 40 प्रतिशत क्षेत्र में कृषीरोपण कर संशोधित लेड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. री—फटेशिल — री—कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्षी उपयोग किया जाएगा। यारड कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्षी एवं रिजेक्टस कोल 0.34 मिलियन टन प्रतिवर्षी उपयोग होगा। री—कोल एस.ई.सी.एल. कोरेश के खाद्यानों दीपका, गैबरा एवं कुसमुद्दा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खाद्यान से बीक्षरी लक री—कोल का परिवहन सड़क मार्ग से होके हुदे बाहरों द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दीर्घ अधियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया गया कि बीक्षरी से

वाहन कोल का परिवहन कार्यक्रम के साथ हुये एनओपी के आधार पर कठक मार्ग या रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट का परिवहन ताकि मार्ग से इसे हुये द्वाहनी द्वारा किया जाएगा। समिति का मत है कि अधिकतम वाहन कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव है आईए रिपोर्ट में समावेश किया जाए।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – कोल काशर इवाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्कीन हाउस में डक्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। काशर के बाहे और बाहे फिल्टर द्वारा आटोमाईजर नोजल अरेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। परिवार के बाहे और दौड़ी बाहुभूमी बैंड का निर्माण एवं ऐन गन के साथ ऊंची स्कीन स्थापित की जाएगी। ताकि ही डक्ट स्लेशन / प्यूरिटिव डक्ट उत्पन्न के नियंत्रण द्वारा जल फिल्टर की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
7. दौड़ी अपरिषट अपवहन व्यवस्था – दौड़ी रिजेक्ट्स तगड़ाग 0.24 लिंगन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होता। कोल वाहनों से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास पावर प्लाटी एवं ऊन्य उद्योगों को दूषित के काम में उपयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
8. जल प्रबंधन व्यवस्था –
 - जल स्थापत एवं रक्षात – प्रस्तावित परियोजना हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं दौड़ी हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) जल की स्थापत होगी, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। भू-जल की स्थापती जल हेतु अनुमति सेन्ट्रल बाउचर्च बॉर्ड अधीक्षित से किया जाना प्रस्तावित है।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – हीड़ी मीडिया सायकलोन आधारित बैट कोल दौड़ी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप बैटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु खिकानर, बैलट प्रेस एवं सेटलिंग पीछड़ की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपरोक्तानुसार उपचार उपरात बून प्रक्रिया में, डक्ट स्लेशन में तथा परिवार के बीतर बूकारीफन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल उपचार हेतु सेप्टिक टैक एवं सोकपिट स्थापित किया जाएगा। ऊन्य मिस्टरारण की नियंत्रि रक्षी जाएगी।
 - भू-जल संचयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेन्ट्रल बाउचर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार –
 - (अ) वृहद एवं कामन उद्योगों की कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल जल पुनर्वापन एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) बाउचर रिचार्ज हेतु अपनाई गई लकड़ीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिकिलिंग जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेन्ट्रल बाउचर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राकाश है। आवश्यक को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 - ऐन बैटर हार्डिंग व्यवस्था – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऐन बैटर हार्डिंग व्यवस्था जल विवरण है। आईए रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. प्रियुत खापत एवं स्टोर - परियोजना हेतु 1 मेंशार्ट प्रियुत की आवश्यकता होगी, जिसकी आवृत्ति उल्लीलगद राज्य प्रियुत गंधनी से की जाएगी।
 10. गृहारोपण की स्थिति - हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1. 64 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में नव पीये लोपित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के चारी तरफ 12 से 30 फीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्र में गृहारोपण कर संभवित हो—आठट परान ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 11. प्रस्तुतीकरण के दोस्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि ऐसा साइंग हेटा कलेक्शन का कार्य 20 नवंबर 2022 से 20 जून 2022 तक किया गया। समिति द्वारा विचार किये गए सर्वानुभवों से प्रकाश की-1 कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार परिवर्ष, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंग्रेज, 2015 में प्रकाशित स्टैचर्ड हमी ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) पॉर ईआईए/ईसपी रिपोर्ट फौर श्रीपोक्टस/एकटीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट कमीशनर अप्हर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में दर्शित थेरी 2(ए) का स्टैचर्ड टीओआर (लोक सुनवाई रहित) कोल बीशी कमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष द्वेष टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा मिम अंतिरिक्त टीओआर के साथ की गई—
- I. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
 - II. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
 - III. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
 - IV. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authority for use of ground water.
 - V. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the periphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area.
 - VI. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the premises as per guidelines issued from time to time and minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
 - VII. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of most of the raw coal, clean coal and reject through rail as far as possible.
 - VIII. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding national highway.
 - IX. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding nearest canal / water bodies.
 - X. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including adjacent canal.

- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संवन्धन 139वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कुल क्षेत्रफल 4.816 हेक्टेयर है जिसमें से कुल क्षेत्रफल वर्ष 50 प्रतिशत क्षेत्र में कृषिरोपण किया जाना है एवं कोल बीजांती में जल की आपशक्कनता अत्यधिक होने के कारण ऐन लौटर पौष्टि के निमय हेतु भी पर्यावरण जगह की आवश्यकता होनी तथा कोल बीजांती क्षेत्र में पार्किंग एरिया, स्टॉरेज एरिया, इंटीली एरिया एवं अन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोल बीजांती की क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 4.816 हेक्टेयर कम है।

प्राधिकरण द्वारा विचार कियर्था उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त गड्ढों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबन्ध किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मैसल पलीग स्टॉच क्वारी (बी.— श्री हेमत चन्द्राकर), गाम—जाडीली, तहसील व जिला—महारामगुंद (संविधानसभा का नस्ती क्रमांक 2142)

आनन्दाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एसआईएन / 63033 / 2022, दिनांक 29/08/2022 द्वारा ईओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संवालित कर्ती पल्घर (गौण खनिज) खदान है। खदान गाम—जाडीली, तहसील व जिला—महारामगुंद रिहाया क्रमांक 1171/1 एवं 1171/4, कुल क्षेत्रफल—2.55 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन उत्थानन क्षमता—1,050 घनमीटर प्रतीक्षर्व है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावका को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमत चन्द्राकर, प्रोप्रॉप्रॉटर उपसमिति हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय क्षीकृति संबंधी विवरण—

१. पूर्व में कर्ती पल्घर खदान क्रमांक 1171/1 एवं 1171/4, कुल क्षेत्रफल—2.55 हेक्टेयर, क्षमता—1,050 घनमीटर प्रतीक्षर्व हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियांत्रण प्राधिकरण, जिला—महारामगुंद द्वारा पर्यावरणीय क्षीकृति दिनांक 18/09/2018 की जारी की गई। यह क्षीकृति जारी दिनांक से ५ वर्ष हेतु यैव है। परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि खदान सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंडलसभा, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17 / 09 / 2024 तक वैध होगी।

- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का यह है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत होशीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राजपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त बाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. कार्यालय कम्लेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महासभुद के ज्ञापन इमाक १०८ / क / खालि / न.इ. / २०२१ महासभुद, दिनांक ०२ / ०८ / २०२२ द्वारा दिग्दं बधी में किये गये उल्लेखन की जानकारी निम्नानुसार है—

दर्ता	उल्लेखन (घनमीटर)
१८ / ०९ / २०१८ से ३१ / १२ / २०१८	भूप्रवेश अप्राप्त
०१ / ०१ / २०१९ से ३० / ०६ / २०१९	भूप्रवेश अप्राप्त
०१ / ०७ / २०१९ से ३१ / १२ / २०१९	भूप्रवेश अप्राप्त
०१ / ०१ / २०२० से ३० / ०६ / २०२०	६६ घनमीटर
०१ / ०७ / २०२० से ३१ / १२ / २०२०	३६९ घनमीटर
०१ / ०१ / २०२१ से ३० / ०६ / २०२१	२३७ घनमीटर
०१ / ०७ / २०२१ से ३० / ०९ / २०२१	९० घनमीटर
०१ / १० / २०२१ से ३१ / ०३ / २०२२	२३१ घनमीटर

2. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उल्लेखन के संबंध में शाम पंचायत अधिकारी का दिनांक ३१ / ०७ / २०१९ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लेखन योजना – कारी प्राप्त विषय प्रोटोकोल विवाही बलोजर प्लान एवं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खानीप्रशा.), जिला-सायपुर के ज्ञापन इमाक १०८ / क / खालि / न.इ. / २०१८ / ११६७ सायपुर, दिनांक ०६ / ०८ / २०१८ द्वारा अनुसूचित है।
4. ५०० मीटर की परियोजना – कार्यालय कम्लेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महासभुद के ज्ञापन इमाक १०८ / क / खालि / न.इ. / २०२१ महासभुद, दिनांक ०२ / ०८ / २०२२ के अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर के भीतर अवस्थित २९ खदान, क्षेत्रफल २२.१४ हेक्टेयर है।
5. २०० मीटर की परियोजना – रिष्टत सार्वजनिक दोत्र/संरचनाए – कार्यालय कम्लेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महासभुद के ज्ञापन इमाक १०८ / क / खालि / न.इ. / २०२१ महासभुद, दिनांक ०२ / ०८ / २०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से २०० मीटर की परियोजने में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे मॉडिल, मर्केट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिवर्धित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।

6. लीज का विवरण — लीज की हेमत चन्द्राकार के नाम पर है। लीज की ओर 30 वर्षीय अधीन दिनांक 19/12/2018 से 18/12/2048 तक वैध है।
7. भू—स्थानिक — भूमि खासगत ग्रामांक 1171/1 श्री द्वारु चुर्क हेमत एवं खासगत ग्रामांक 1171/4 श्री नरेन्द्र के नाम पर है। उल्लेखनन हेतु भूमि स्थानी का साहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. कन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनाम छलाधिकारी, सानान्द बनगलुल, खिला—गहासमुद्र के छापन ग्रामांक/मांडि/खानिज/1385 महासमुद्र दिनांक 16/04/2016 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अधिकृत क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 14 कि.मी की दूरी पर है।
10. बहुत्यपूर्ण कांशभगाओं की दूरी — निकटतम आवासी द्वारा—अछोली 200 मीटर, कुलुल ग्राम—अछोली 700 मीटर एवं अस्पताल गहासमुद्र 12.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.7 कि.मी. दूर है। गहासमुद्र 1.9 कि.मी. गोसारी नाला 800 मीटर, नहर 150 मीटर एवं तालाब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परिवेशना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसरी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमरावत्य, कोन्दीय प्रदूषण नियंत्रण शोर्ड द्वारा घोषित डिटेक्टरी पॉल्यूट्रेट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — अनुमोदित क्षारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,53,000 घनमीटर, नाइनेंबल रिजर्व 1,01,382 घनमीटर एवं रिकल्करेबल रिजर्व 78,044 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,52,007 घनमीटर एवं नाइनेंबल रिजर्व 1,00,389 घनमीटर शेष हैं। लीज की 7.5 मीटर ऊँची सीधा पट्टी (उल्लेखन के लिए प्रतिवर्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,106 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्यूफ्ल विधि से उल्लेखन किया जाता है। उल्लेखन की प्रस्तावित छलाधिकार नहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में कुप्री मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,360 घनमीटर है। दौध की कॉमाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सांसाधित आयु 10 वर्ष है। हिलिंग व लारिटंग नहीं किया जाता है। खदान में यांत्र उत्पादन नियंत्रण हेतु जल का छिन्हकार्य किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उल्लेखन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (घनमीटर)
प्रथम	1,050	पश्चम	1,050
द्वितीय	1,050	सप्तम	1,050
तृतीय	1,050	आठम	1,050
चतुर्थ	1,050	नवम	1,050
पंचम	1,050	दशम	1,050

13. यात्रा आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक यात्रा की मात्रा 5.35 घनमीटर प्रतिदिन होती है। यात्रा की आपूर्ति बोरडेल के मात्राम से की जाती है। भू-यात्रा की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल पार्टनर गोटर अधीक्षिती की अनुमति प्राप्त बन प्रस्तुत किया जाता है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बासे और 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में उत्थानन – लीज क्षेत्र के बासे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया जाया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तुतक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन छाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 को प्रारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को शुरूना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., विसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्यें पाराण्डे विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्रिलीकॉम नं. 186 जॉफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विधार विभार संघरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज राखा), जिला-महासभुद के जापन बजांक 905/का/खानि/न.का./2021 महासभुद, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानों, क्षेत्रफल 22.94 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राम-अधीक्षित) का रक्का 2.55 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम-अधीक्षित) को जिलाकर कुल रक्का 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में हीकूत/संचालित खदानों का कुल होकर 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' क्षेत्री की मानी गयी।

2. एकीकूत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन बंजालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय क्षेत्रीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विधार विभार उपरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' क्षेत्रीय का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैचर्ड हॉमो लॉक रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रियोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिकार्डिंग इन्वायरमेंट कंपनीरेस अध्यक्ष है.आई.ए. नोटिफिकॉन, 2008 में वर्णित क्षेत्री 1(ए) का स्टैचर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन जोल माईनिंग फ्रॉजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्ष टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- x. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किए जा रहे सवालोंमें से

समिति की उन्नतीसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सूचयाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत होतीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नेत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से निर्गत जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

परियोजना प्रसादक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सूचयाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत होतीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नेत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया जाए।

8. ऐसर्सी यहाँीर कोल बौशरीज प्राइवेट लिमिटेड, गाम-खरगाहनी-पथरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (साधिकालय का नम्रता क्रमांक 2141)

जीनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसडीए/ सीजी/ सीएनडीएल/ 82950 / 2022, दिनांक 27/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रताप का विवरण - यह कामता विस्तार का प्रकारण है। गाम-खरगाहनी-पथरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर रिक्त लासा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल-11.62 हेक्टेयर (28.72 एकड़) में संचालित कोल बौशरी कामता - 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। कामता विस्तार उपर्युक्त परियोजना का विविधोग समय 25 करोड़ होती। तदानुसार परियोजना प्रसादक को एसडीएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार डॉन, डायरेक्टर एवं श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत कामकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विचारित पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- एसडीआरए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1422, दिनांक 28/09/2021 द्वारा ऐसर्सी यहाँीर कोल बौशरीज प्राइवेट लिमिटेड, गाम-खरगाहनी-पथरी, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर रिक्त लासा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल-11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल बौशरी कामता- 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। उपर्याप्त एसडीआरए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 576, दिनांक 19/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में साझेदान जारी किया गया।

2. जल एवं वायु सम्पत्ति -

- * छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न बंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल बौशरी कामता - 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्पत्ति दिनांक 04/05/2022 को जारी की गई।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधी मौजल द्वारा जारी सम्भिति लाती के प्रस्तावकी की कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि कर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधी मौजल द्वारा जारी सम्भिति लाती के पासन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधी मौजल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कोल बौशरी कामकाज—0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किंवद्दि जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बहुतकर 20 घंटे किया जाएगा।
- निकटतम रिखत क्रियाकलापों संबंधी जानकारी—
 - निकटतम आवादी द्वारा—पर्यावरण 0.7 किमी, ग्राम—खरगहनी 1.5 किमी, शहर कोटा 4.5 किमी, एवं रेलवे स्टेशन करमिलार 2.2 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किमी, एवं राज्यमार्ग 1.5 किमी, दूर है। गोकोना नाला 100 मीटर, छापी नाला 46 किमी दूर है। धोपा नदी 5.5 किमी, एवं अरपा नदी 4 किमी, दूर है।
 - रामधंदा आरसित बन 5.2 किमी, बुआजारी आरसित बन 8.1 किमी, लोरनी आरसित बन 8.6 किमी, रातनपुर सारसित बन 9 किमी, चिकलाराई सारसित बन 8.9 किमी, कांचनपुर सारसित बन 10.7 किमी, रानीबद्दानी आरसित बन 10.8 किमी, रासीपुर सारसित बन 10.9 किमी, ईस्ट बेलगड़ा सारसित बन 13.3 किमी, दूर है।
 - अज्ञानकमार बन्दरगाही अन्याय और टाईनर रिजर्व 24.2 किमी, की दूरी पर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी, की परियोजने में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्यायरप्प, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेक होम, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होम का घोषित गैरविकाला होम स्थित नहीं होना प्रतियोगित किया है।
- जान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — परियोजना स्थापना के संबंध में याम पंचायत पर्यावरण का दिनांक 22/09/2019 एवं याम पंचायत खरगहनी का दिनांक 21/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- भूमि स्वामित्व — भूमि बहावीर कोल बौशरीज प्राइवेट लिमिटेड को नाम पर है।
- लेण्ड एरिया स्टेटमेंट — कुल होमफल 28.72 एकड़ (11.82 हेक्टेयर) है, जिसमें बौशरी प्लांट का होमफल 2.45 एकड़ (0.53 प्रतिशत), री—कोल, स्टीक लाई, बहीन कोल एवं रिहोकला का होमफल 3.56 एकड़ (13.75 प्रतिशत), अन्य केन्द्रियिती का होमफल 3.65 एकड़ (12.71 प्रतिशत), बैकेट भूमि 6.4 एकड़ (22.29 प्रतिशत) एवं श्रीन बैल्ट का होमफल 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर की भीतर श्रीन बैल्ट कुल होमफल के 50 प्रतिशत भाग में किया जाना आवश्यक है।
- री—मटेरियल — री—कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष सुपर्योग किया जाएगा। बारड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिहोकल्स बोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष लापन होगा। री—कोल एस.ई.सी.एल. कोलवा के खदानों दीपका, गैवरा

एवं पूर्समुक्त से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से बीकरी तक रो—बोल का परिवहन सहक मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। बीकरी से वाइट कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सहक मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सहक मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — कोल छापार इकाई, सेटरी ब्रेकर एवं स्टीन हाउस में डक्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की क्षमता की जाएगी। सभी कोल बन्केचर बैल्ट्स एवं जबान प्लाईट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संतुलन कर किमी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊंची बाटुण्डी बील का निर्माण एवं ऐन गन के साथ ऊंची स्टीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डक्ट सप्लेशन / पर्यूजितिव डक्ट उत्तरार्जन के नियंत्रण हेतु जल घिरकाव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
10. बीसा अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था — बीकरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 नितियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होता। कोल बासारी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को इकाई द्वारा के भाष्यम से ईट निर्माण इकाई अथवा आस-पास चापर फ्लॉटी अथवा अन्य उद्योगों को ईधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
11. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल खपत एवं संवीत — बीमान में बरेतु उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डक्ट सप्लेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीकरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। बीकरी से उत्पन्न दूषित जल 3,880 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पीण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार द्वारा तुरन्त पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फेज बीटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होती, जिसकी आपूर्ति भू-जल से ही जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल बाटुण्ड बीटर अधीक्षिती से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनाक 06/05/2021 से 05/05/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु बरेतु एवं मूक्षारोपण उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, डक्ट सप्लेशन हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन एवं बीकरी हेतु 9,312 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। बीकरी से उत्पन्न दूषित जल 8,812 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पीण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार द्वारा तुरन्त पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फेज बीटर की आवश्यकता 600 घनमीटर प्रतिदिन होती, जिसकी आपूर्ति भू-जल से ही जाएगी। फिर्योजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल बाटुण्ड बीटर अधीक्षिती से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — हीकी मीकिया सायरलोन आधारित बेट कोल बीकरी स्थापित किया जाएगा। बलोज्ड सूप बीटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। ब्रिकिया से उत्पन्न दूषित जल को उपचार हेतु घिकानर, बैल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पीण्ड की रूपाना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक ब्रिकिया से उत्पन्न दूषित जल को उपचारकानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डक्ट सप्लेशन में तथा परिसर के भीतर कुक्कारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। बरेतु दूषित जल के उपचार हेतु तीव्रज ट्रिटमेंट प्लाट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। यून्य निरसारण की स्थिति रखी जाएगी।

- भू-जल संपर्कोग प्रबन्धन — परियोजना क्षेत्र सेट्स ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार जीव जैव में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) बृहद एवं मध्यम उद्योगों की कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वापन एवं पुनर्वापन किया जाना है।
 - (ब) प्राउफ वाटर रिकार्ड ऐतु अपनाई गई लकड़ीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आवार पर भू-जल निकले जाने की अनुमति सेट्स ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. रेन बौटर हार्डिंग व्यवस्था — रेन बौटर हार्डिंग व्यवस्था की जिसका प्रयोग / जानकारी फाईबर इंजीन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. विद्युत संपर्क एवं सञ्चार — परियोजना ऐतु 1,500 के छोटे विद्युत की आवायकता है, जिसकी आपूर्ति छतीसगढ़ वाय विद्युत विभाग कंपनी से की जाएगी। लैकड़ीक स्वायत्ता ऐतु 500 के छोटे सेट संपादित किया जाएगा। छोटी सेट को एकोसिटक इंवलोजर में संवापित किया जाएगा एवं ग्रीष्मीसीमी द्वारा नियंत्रित कंचाई (10 मीटर) की विमनी संलग्न की जाएगी।

14. पृकारीपन की विधि —

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार, कुल क्षेत्रफल में से 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 ग्रीटर छोटी हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे लाईन की तरफ 65 ग्रीटर तक संपर्क वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ऐसी कृषि प्रणालियों का रोपण किया जाए जिसकी कंचाई कम से कम 25 ग्रीटर से ऊपरी है। साथ ही प्रति हेक्टेयर 1,866 नग पौधों का रोपण 3 गुणा 2 ग्रीटर के अनुसार में किया जाना चाहिए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं थी यही है।
- गर्भान में वृक्षारोपण ऐतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार, कुल क्षेत्रफल में से 12.27 एकड़ (42.72 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- समिति का मत है कि उद्योग परिवार के चारों तरफ कम से कम 20 ग्रीटर की छोटी पट्टी में सूखा रेल लाईन की तरफ कम से कम 65 ग्रीटर की छोटी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण जागामी नामसून में करते हुए पौधों में संख्याकान (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोडायप्स स्थित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रधान वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये 50 प्रतिशत कर बांधोंपित ले—आउट प्लान के एच.एस. फाईल स्थित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के समय 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक किये गये भौगोलिकिंग को बेसलाईन ढाठा का संपर्क आवेदित करना है जिसका

जाएगा। समिति का नहीं है कि उक्त हेतु क्षमितिलिटीय ईआईए स्टडी मिला जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हासा बताया गया कि रो-कोल वीसरी कमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु बेसलाईन काटा बलेश्वर का कार्य 01 अप्रूवर से 31 दिसम्बर 2020 तक मिला गया था। उक्त बेसलाईन काटा को प्रस्तावित कमता पिलार हेतु ईआईए रिपोर्ट में उपयोग किये जाने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया गया।

समिति हासा पिलार विनाशी प्रबलात सर्वसम्मति से प्रकरण वी-१ कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, दग और जलवायु परिवर्तन भौतिक्य हासा कोल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पांच ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट कोर ब्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्डिप्रेंट बलीबरेस अप्लर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में घोषित क्षेत्री 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई शहित) कोल वीसरी कमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के टाईप हेतु जास्ति की अनुशंसा मिल अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई।

- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous consent to establish from Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur.
- iii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).
- vi. Project proponent shall submit proposal for minimum 50% greenbelt area of total land area.
- vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.
- viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.
- ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).
- x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).
- xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

- xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.
- xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit the revise layout plan with KML file for increasing Plantation area making it 50% and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the periphery of the project area & 65 meter wide green belt along the railway line side.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – एपरेक्ट प्रकरण पर प्राधिकरण की बिनाय 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभर्ता सुपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया है—

(i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के उच्चान पर (ii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-I(II)(i) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति का यातन प्रतिवेदन एकीकृत सेवीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर डट्स नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र सेवा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सत्री टम्स और रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नवा रायपुर अटल नगर को घेर लेता किया जाए।

9. बेसर्स फ्लैग स्टोन व्हारी (प्रो.—श्री लीलाराम चौधरी), ग्राम—पोडारी, राहसील व जिला—महाराष्ट्र (संचिवालय का नम्रता क्रमांक 2143) ऑनलाइन आवेदन — प्रपोज्शन नम्र — एसआईए / श्रीजी / एमआईएल / 09740 / 2021, दिनांक 30 / 08 / 2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्ताव का विवरण — यह घूर्वे में संचालित कर्ती पत्थर (गोल खनिय) खदान है। खदान ग्राम—पोडारी, राहसील व जिला—महाराष्ट्र रिखत खसरा क्रमांक 433 / 4, 362, 363 एवं 364, कुल क्षेत्रफल—0.56 हेक्टेयर क्षमता—820 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला राहसील पर्यावरण समाधान निधिरिप व्याधिकरण, जिला—महाराष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18 / 09 / 2018 की जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 17 / 09 / 2023 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30 / 11 / 2022:

प्रलूबीकरण हेतु श्री लीलाराम चौधरी, प्रोप्राइटर उपरिख्यत हुए। समिति द्वारा नम्री, प्रलूब जानकारी का अकलीकरण एवं परिषेक करने पर शिमा सिवति पाई गई—

- i. घूर्वे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—
 1. घूर्वे में कर्ती पत्थर खदान खसरा क्रमांक 433 / 4, 362, 363 एवं 364, कुल क्षेत्रफल—0.56 हेक्टेयर क्षमता—820 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला राहसील पर्यावरण समाधान निधिरिप व्याधिकरण, जिला—महाराष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18 / 09 / 2018 की जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 17 / 09 / 2023 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"SA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उचितोत्तर अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17 / 09 / 2024 तक की है।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घूर्वे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के कानून के पालन में की गई कार्यवाही की प्रानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति यह मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन बंजालय, नवा रायपुर अटल नगर से

पूर्व में जारी यारीकरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निम्नोंसे जारीमुद्रार 120 तक कुलाधीपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाता), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 1378/क/खाति/न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 23/11/2022 द्वारा जारी प्रभाल पत्र अनुसार किंगत वर्षी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खादन (घनमीटर)
01/07/2018 से 31/12/2018	गृहिणी अधार
2019	109
2020	647
2021	490
01/10/2021 से 31/03/2022	250

2. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रभाग पत्र – उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत छोड़ाई का दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – कारी प्लान एलांग विधि ग्रोवेसिय वडाई बलोजर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि-प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/खाति/सीन-६/2018/207 रायपुर, दिनांक 02/05/2018 द्वारा अनुबोधित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्त खादान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाता), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खाति/न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवंदित खादान से 500 मीटर के बीतर अवस्थित 69 लादाने, क्षेत्रफल 40.04 हेक्टेएर है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक क्षेत्र/सांचयनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाता), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 1287/क/खाति/न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रभाग पत्र अनुसार उक्त खादान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं मंदिर, मरम्पट, स्कूल, कास्पताल, पूल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रिया क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. लीज का विवरण – लीज भी लीलाराम चौधरी के नाम पर है। लीज की 30 वर्षी अवधीन दिनांक 19/12/2018 से 18/12/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. शू-स्वामित्व – शूनि खासगत क्रमांक 352, 353 व 354 भी लीलाराम चौधरी एवं खासगत क्रमांक 433/४ भी सुभद्रा चौधरी के नाम पर हैं। उत्खनन हेतु शूनि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाई है।
9. दन विभाग का अनापत्ति प्रभाग पत्र – कार्यालय दनमंडलाधिकारी, सानान्द दनमंडल, महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक/न.क्र./6446 महासमुद्र, दिनांक

30/12/2017 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वर्णन क्षेत्र से 8 किमी. की दूरी पर स्थित है।

10. महानपूरी सारबनाथी की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-घोड़ारी 550 मीटर स्थूल ग्राम-घोड़ारी 1.2 किमी. एवं अस्पताल बहासमुद 7.8 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.9 किमी. दूर है। महानदी 1 किमी., गोपीनाथ नाला 770 मीटर, तालाब 1.4 किमी. एवं नहर 260 मीटर दूर स्थित है।
11. पारिसिखतिकीय / जैवप्रियिकाता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयात्मक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फ़िटिंगकी पील्युटेल लैरिया, पारिसिखतिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवप्रियिकाता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
12. खनन संचया एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिपोर्ट 1,84,260 टन एवं गाईनेकल रिपोर्ट 52,120 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिक्रियित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,313 घनमीटर है। ओपन कम्पट सेमी ऐक्साइटेड वित्त से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 125 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोहराई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,842 घनमीटर है, जिसमें से 811 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (गाईन बालप्टी) क्षेत्र में फैलाकर युक्तारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा शेष 931 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को दूर्वा लीज क्षेत्र की सीमा के भीतर अवयव लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर संरक्षित किया जायेगा। दैव की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान वर्ष संवादित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जम्मर रखायित नहीं है एवं इसकी रखायना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। स्टोन कट्टर का उपयोग किया जाता है। हिलिंग व स्टार्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में यागु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिपकाव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्ननुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	900	प्रथम	915
द्वितीय	915	द्वात्मम	930
तृतीय	921	अष्टम	939
चतुर्थ	930	नवम	945
पंचम	936	दशम	951

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.64 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोडेर के माध्यम से किया जाता है। गू-जल की उपयोगिता हेतु सीन्ट्रल बालप्टी बोर्ड अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. युक्तारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 231 नग युक्तारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र की जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कर्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रकलापक द्वारा कहाया गया कि उसके द्वारा आवेदित खदान के 500 मीटर के बलस्टर क्षेत्र में अन्य आवेदित खदानों में अवस्थित है जिनका टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है तथा परियोजना प्रकलापक की आवेदित खदान से इस बलस्टर के क्षेत्र के भीतर ही स्थित है। उक्त उक्त बलस्टर में आगे बाती समस्त खदानों का संयुक्त रूप से बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासंग्रह द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का उल्लेख है। परियोजना प्रकलापक द्वारा उक्त एकलिंग बेसलाईन डाटा का उपयोग कार ई.आई.ए. रिपोर्ट लियार किये जाए हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से समिति सहमत रही।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिशिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा शत्येंद्र पाठ्यक्रम भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोरिजनल एक्सिक्यूशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में सुलग काय से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासंग्रह के ज्ञापन इनांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासंग्रह, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानों, क्षेत्रफल 40.04 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (जान-घोड़ासी) का रक्कम 0.56 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (जान-घोड़ासी) को मिलाकर कुल रक्कम 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'सी1' क्षेत्री की मानी गयी।
 2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र सेवा किया जाए।
 3. समिति द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'सी1' क्षेत्रीय का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिक, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) परीकर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर ग्रोजैक्ट्स/एकलिंग्स रिक्वायरिंग इन्वायरनेंट क्लीयरेंस अधिकर है.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में पर्याप्त श्रेणी 1(र) का स्टैम्पर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई शहिन) नॉन कोल माइनिंग ग्रोजैक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्त टी.ओ.आर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।
- i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विषार – संपरीक्षा प्रवर्तन पर प्राधिकरण ने दिनांक 01 / 02 / 2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विषार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विवार विवरों उपचार सांख्यिकीय सूचीकृति को निर्णय लिया गया कि शमिलि द्वारा अनुहासित अधिकारिक टीओआर के हात में निम्न संशोधन किया गया है:-

- 3 (i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." को स्थान पर 3 (i) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011618/2010-I&III(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय सूचीकृति का प्राप्तन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा संघनुव अटल नगर से गंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सज्जी टम्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा संघनुव अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स लाइन स्टोन (पलेग स्टोन) लाइन (प्री.- भी सीलापर चन्द्राकर) ग्राम-बरवसपुर, तहसील व जिला-महासनुद (परिवालय का नम्बर क्रमांक 2144)

जीवलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर- एसडीए / शीषी / एसडीए / 68831 / 2021, दिनांक 31 / 08 / 2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकाश का विवरण — यह पूर्व में संचालित दूना पालघर (शीषी शमिलि) खदान है। खदान ग्राम-बरवसपुर, तहसील व जिला-महासनुद रिवर पार्ट लॉक खसरा क्रमांक 159, कुल क्षेत्रफल-0.2 हेक्टेकर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता- 543 घनमीटर (1.357.5 टन) प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी, अलीशाहपुर को लापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिलि की 437वीं बैठक दिनांक 30 / 11 / 2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु भी अलीक चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपसंस्था तुए। शमिलि द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिफारिश पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सूचीकृति संबंधी विवरण—

- I. पूर्व में दूना पालघर खदान क्रमांक 159, कुल क्षेत्रफल-0.2 हेक्टेकर, क्षमता-543 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला सारीय पर्यावरण समापात निर्दीकरण प्राधिकरण, जिला-महासनुद द्वारा पर्यावरणीय सूचीकृति दिनांक 13 / 03 / 2018 को जारी की गई। यह सूचीकृति जारी दिनांक से दिनांक 12 / 03 / 2021 तक कैष थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 छनुसार—

"**A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की दिनांक से दिनांक 12/03/2022 तक है।

- ii.** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के रूप में यात्रा में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंड़बलय, नवा शायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का यात्रा प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii.** निम्नलिखित रातीनुसार 140 नवा झुलारीपन किया गया है।
- iv.** कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महासभुद के द्वापन इनांक 1269 / क / खालि / न.क्र. / 2022 महासभुद, दिनांक 11/10/2022 द्वारा दिग्गत धर्मी में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्ननुसार है—

वर्ष	छतपादन (टन)
2017	निरंक
01/01/2018 से 30/06/2018	निरंक
01/07/2018 से 31/12/2018	180
2019	327
2020	131
01/01/2021 से 30/06/2021	48
01/07/2021 से 30/03/2022	निरंक

- 2. याम पांचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तरानन (मद में परिषट्टन) के संबंध में याम पांचायत बत्तसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 3. उत्तरानन योग्याना – ज्वारी घान एलाग लिथ कारी कलोजर घान लिथ इन्डस्ट्रीमेंट मैनेजमेंट एन्ड इस्ट्रुमेंट विद्या गया है, जो उप संचालक (खणिज शाखा), जिला – रायपुर के पृ. द्वापन इनांक 1132-3/खालि/लीन-6/2017 रायपुर, दिनांक 30/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।
- 4. 500 बीटर की परिष्ठि में रिक्त स्थान – कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महासभुद के द्वापन इनांक 234/क/खालि/न.क्र./2021 महासभुद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित स्थान से 500 बीटर की भीतर उत्तरानन 69 स्थान, क्षेत्रफल 40.4 हेक्टेयर है।
- 5. 200 बीटर की परिष्ठि में रिक्त सार्वजनिक लोअर/सारचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-महासभुद के द्वापन इनांक 1242/क/खालि/न.क्र./2021 महासभुद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उपर स्थान से 200 बीटर की परिष्ठि में कोई नीं सार्वजनिक

- क्षेत्र लौजे मंदिर मारिजन, नरघट, असपाताल, बफूल, पुल, गांव, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बहानदी 110 मीटर की दूरी पर है।
6. भूमि एवं लौज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लौज की सीलाघर बन्दाकर के नाम पर है। लौज लौड 20 वर्षीय अवधि दिनांक 03/12/1997 से 02/12/2017 तक की अवधि हेतु ऐप थी, तत्पश्चात् लौज लौड 10 वर्षीय दिनांक 03/12/2017 से 02/12/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
 7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत नहीं गई है।
 8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — प्रस्तुतीकरण के दोसान परियोजना प्रस्तावक का द्वारा बन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लौज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (थी सुरेज बन्दाकर गाम—बरबसापुर, तहसील य जिला—महाराष्ट्र) को बन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार बार्हांतर बनमध्यकारिकारी, तामान्य बनमध्यकारी, महाराष्ट्र का झापन ग्रामक/मालि/खानिज/1440 महाराष्ट्र, दिनांक 09/12/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र की सीमा से 15 किमी की दूरी पर होना चाहिया जाया है। उक्त हेतु नामित द्वारा साहमति लेकर की गई।
 9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासी द्वाम—बरबसापुर 780 मीटर, स्कूल प्राप्त—बरबसापुर 1.15 किमी, एवं असपाताल बहालगुंद 9.3 किमी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सड़कमार्ग 22 किमी, एवं राजमार्ग 15.5 किमी, दूर है। बहानदी 110 मीटर दूर है। गौसमी नाला 170 मीटर, गांव का तालाब 830 मीटर एवं नहर 1.15 किमी, दूर है।
 10. पारिसंरक्षितकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी, की परियोजने में अंतर्राजशील सीमा, राष्ट्रीय सड़क, अभ्यासग्राम, कॉन्ट्रीप्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिलस्टी पील्स्ट्रीट एसिंग, पारिसंरक्षितकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र किया जाना नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
 11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल दिनार्थ 8,725 घनमीटर एवं माइनिंग रिजर्व 3,834 घनमीटर है। लौज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 862 कर्गीटर है। औपन कास्ट नीमीमेक्नाइज्ड गिरि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तापित जटिकाम गहराई 6 मीटर है। लौज क्षेत्र में कृपरी मिट्टी की गहराई 1.5 मीटर है तथा पाल नाला 1,312.5 घनमीटर है, जिसमें से 394 घनमीटर कृपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाटम्ही) क्षेत्र में फैलाकर घासारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा ये 918.5 घनमीटर कृपरी मिट्टी को पूर्व लौज क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा लौज क्षेत्र की सीमा से बाहर संरक्षित किया जायेगा। बैंध की कांपाई 1.5 मीटर एवं गोकाई 1.5 मीटर है। खदान की संरक्षित ऊँचाई 7 वर्षे है। लौज क्षेत्र में काशर रक्षापिता नहीं है एवं स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में बायू प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्काव किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी 05 वर्षों में

किए जाने वाले प्रस्तावित उत्थानन का वर्तमान प्रवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.71 मीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोड के नस्यम से किया जाता है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल रास्टर बॉर्टर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया है कि पैकिंग क्षयकला के सभी शाम पंचायत से टैक्सी के माध्यम से भी जल आपूर्ति की जाएगी।
13. बृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 112 नग बृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थानन – लौज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थानन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि याम-घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ना, तहसील व जिला-महासमुद्र क्षेत्र में 95 कर्जी पत्थर खदाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेकर अपरिवर्तित है। याम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में याम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदाने, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेकर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में याम-घोड़ारी एवं मुड़ना क्षेत्र में 25 खदाने, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेकर अविस्तर हैं। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। युके इआईए कट्टी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ऑवरलैप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर नामसे हुये फाईनल इआईए रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्दिशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 किमी के क्षेत्र को इआईए नॉनिटिशन के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि क्लस्टर में जाने वाली अन्य खदानों के लिए बैसलाईन शामा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 को मध्य किया गया है। उक्त को संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., ड्रिक्सिप्ल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सल्यैट पार्किंग विकल्प भासा सरकार, पर्यावरण, यन और जलयाम परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 180 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विभार विभार चपरांत वार्तामाला से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वार्तालग क्लस्टर (बैंकिंग शामा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 224/क/सलि/न.का./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर अवस्थित 69 खदान, कोरकल 40.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-बरदसपुर) का रकमा 0.2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-बरदसपुर) को भिलाकर कुल रकमा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल कोरकल 5 हेक्टेयर से अधिक का बनस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी जाती।

2. एकीकृत संचाय कार्यालय पर्यावरण, जन एवं जलवायु परिवर्तन बंजालय, भारत सरकार, चालपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विभार विभाग उपर्यात सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन बंजालय द्वारा अधित, 2015 में प्रकाशित रटेक्सर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) कोर हआई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट/एक्टीविटीज रिस्कायरिंग इन्वेस्टिगेट कलीबरेत अध्यक्ष हआई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में घोषित थेपी 1(ए) का रटेक्सर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल गार्डनिंग प्रोजेक्ट को हेतु निम्न अनिवार्य टीओआर के राज्य जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—
 - i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - ii. Project proponent shall submit the revised mining plan incorporating proposed mining schemes.
 - iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - xi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.



- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year in the 7.5 meter width of mine lease periphery & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की बिनाक 01/02/2023 को संवन्ध 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अपलोड किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमती उपरांत सर्वसम्मति से विषय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अंतिमित टीओआर के जरूर में मिन संशोधन किया गया है:-

- 3 (i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के संधान पर 3 (i) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/018/2010-IAll(I) dated 30/05/2012." पक्ष जाए।
- 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." के संधान पर 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent

shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति या पालन प्रतिबंधन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मारत सलकर, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नवा रायपुर अटल नगर से नेताये जाने हेतु पत्र लेख दिया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सकारी टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मारत सलकर, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख दिया जाए।

एजेंडा आवेदन क्रमांक-३

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वाडित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टी.ओ.आर / अन्य जावहरक निर्णय दिया जाना।

१. वैसां श्री हेमंत साह, डिक्ट अर्थ माईन, ग्राम-चिंचेसरा, लहसील व जिला-मुंगेली (संविचालन का नस्ती क्रमांक 1900)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीखी/ एनआईएन/ 246490/ 2021, दिनांक 31/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबलित मिट्टी उत्खनन (गोल खनिज) खदान एवं फिल्स फिल्स ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-चिंचेसरा, लहसील व जिला-मुंगेली लियत खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, कुल क्षेत्रफल-2.023 हेक्टेयर में है। खदान की ऊंचाई उत्खनन क्षमता - 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसई.एसी. उत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी बलवान वैस, अधिकृत प्रतिभेदि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई:-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 147/1 एवं 148, कुल क्षेत्रफल - 2.023 हेक्टेयर, क्षमता - 4,985 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारिज प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को लाती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निवारिज शालीनुसार वृक्षाचोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1362 / खलि-02 / 2021 मुंगेली, दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा विषय वर्ती में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्तरादान (पर्यामीटर)
04 / 01 / 2017 से 31 / 03 / 2017	—
01 / 04 / 2017 से 31 / 03 / 2018	767.7
01 / 04 / 2018 से 31 / 03 / 2019	746.7
01 / 04 / 2019 से 31 / 03 / 2020	1,048.78
01 / 04 / 2020 से 31 / 03 / 2021	440

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरानन के संबंध में ग्राम पंचायत भरकारीगुड़ा का दिनांक 25 / 12 / 2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योजना — ज्ञारी प्लान एलोग लिय करारी बलोजर प्लान एण्ड इन्हारोमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खणि प्रशासन), जिला-बलीदाराजार-गाटापारा के ज्ञापन क्रमांक / 1285 / ख. लि / टीन-1 / 2016 बलीदाराजार, दिनांक 04 / 11 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में विष्वत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक / 1362 / खलि-03 / 2021 मुंगेली, दिनांक 26 / 07 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के गोले अपरिवर्त्ती अन्य खदानों की संलग्ना गिरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में विष्वत सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक / 1362 / खलि-03 / 2021 मुंगेली, दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा ज्ञारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेत लाईन, नहर, भवन, सार्वजनिक स्थल, मरम्पट, स्कूल, पुल, कम्बरट, बांध, नल जैसा योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आवारी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिवेदित क्षेत्र निर्दित नहीं है।
6. लीज का विवरण — लीज भी हेमन्त साहू के नाम पर है। लीज की 10 वर्षी अवधीं दिनांक 23 / 08 / 2012 से 22 / 08 / 2022 तक की अवधि हेतु यह है।
7. भू-स्थानिक्य — भूमि खसरा क्रमांक 147 / 1 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 148 श्रीमती रामप्यारी के नाम पर है। उत्तरानन हेतु भूमि स्थानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. गन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनामस्तुलाधिकारी, जिलासपुर बनामपुर, जिला-जिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक / लक.अधि. / 2137 दिनांक 08 / 06 / 2012 से ज्ञारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महारथपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवारी ग्राम-योगेश्वर 150 मीटर, इकूल ग्राम-योगेश्वर 200 मीटर एवं अस्पताल-योगेश्वर 250 मीटर की दूरी पर विष्वत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.77 कि.मी. एवं राजमार्ग 3.77 कि.मी. दूर है। आगर नदी 50 मीटर दूर है।

11. पारिविक्षणिकीय / जीवविधिवाला संबोधनशील होते – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की विस्तृति में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राहान, अन्यायपद क्षेत्रीय प्रदूषण विवरण शोह द्वारा प्रोत्तिकर्ता प्रोल्यूटेट एरिया, पारिविक्षणिकीय संबोधनशील होते या प्रोत्तिकर्ता होते विवर नहीं होना प्रतिबोधित किया है।

12. खनन संपर्क एवं खनन का विवरण – जियोलॉगिकल रिपोर्ट 40,480 घनमीटर एवं माइग्रेक्स रिपोर्ट 34,893 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर लीडी रीमा पट्टी (उत्थानन की लिए प्रतिवित होते) का दोषकल 556 वर्गमीटर है। ओपन कम्पट मैन्युअल विधि से उत्थानन विभाग जाता है। उत्थानन की प्रस्तावित अविकलन गहराई 2 मीटर है। बैथ की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज होते के भीतर 0.16 हेक्टेयर में होते ईट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है। ईट निर्माण हेतु निटटी के साथ 40 प्रतिशत फलाई ऐत का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। खदान में यांत्र ग्रदूषण विवरण हेतु जल का छिक्काव किया जाता है। अनुसन्धित रखाई प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (घनमीटर)
प्रथम	5,135
द्वितीय	5,134
तृतीय	5,134
चौथा	5,136
पावन	5,135
पाष्ठन	5,136
सप्तम	5,134

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की आज्ञा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु शाम पैदायत का अनापत्ति प्रबान्ध प्रस्तुत किया गया है।

14. कृषारोपण कार्य – लीज होते की सीमा में चाहे और 1 मीटर की पट्टी में 250 नग कृषारोपण किया जाएगा। लीज होते की सीमा में चाहे और 1 मीटर की पट्टी में कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फॉसिंग के लिए राशि 1,29,700 रुपये, खाद के लिए राशि 630 रुपये एवं रस-रखाव के लिए राशि 1,55,260 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,80,560 रुपये प्रधम रप्त हेतु एवं कुल राशि 4,84,440 रुपये आगामी बार वर्ष हेतु प्रटक्काव जाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु संगीति के सम्बन्ध विस्तार से एवं उपरान्त निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at Village- Chichesara	

		Panchayat Nimman	Van	8.75
		Total		8.75

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "परियोजना" को ताहत (आंपला, बढ़ पीपल, नीम, आम, अजून, बेल आदि) बृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 14,300 रुपये, फोसिल के लिए राशि 65,400 रुपये, खाद के लिए राशि 1,780 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 2,22,920 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,04,300 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 5,71,864 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यान पंचायत भक्तपुरगुड़ा के सहभागी उपरोक्त पश्चिमीय स्थान (खासा क्रमांक 147/1 एवं 148, क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर) पर रोपण करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिनिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा रखी हुए पारिषद विकास वारास सत्रकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्सिलकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में युक्त रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमशी उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज वाका), जिला—मुगेली के द्वारा क्रमांक / 1362 / छलि-03 / 2021 मुगेली, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की सख्त नियन्त्रण है। आवेदित खदान (प्राम—पिंडेसरा) का रक्षा 2.023 हेक्टेयर है। खदान की लीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 0 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की 2 शेषी की मात्री नहीं।
- समिति द्वारा विचार विमशी उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक – गैरां श्री हेमंत साहू, बिक अव बाईज की ग्राम—विथेसरा, तहसील व जिला—मुगेली के उत्तर क्रमांक 147/1 एवं 148 में लिखा निटटी उत्खनन (गोल खणिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—2.023 हेक्टेयर, कामता – 4,986 पनीरीटर प्रतिक्वाह हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/06/2022 को संवन्ध 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया एवं पाया गया कि यूर्ब में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति में अधिकोपित शार्टानुसार बृक्षारोपण नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा उत्तम उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि यूर्ब में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शार्टानुसार बृक्षारोपण इसी मानस्तुन में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स जाहिस जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की पाठ्यग्रन्थी।

एस.ई.आई.ए.ए... छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/08/2022 के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/12/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संघन 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत के अनुलय यूकारोपण करते हुए पौधों से संख्यांकन (Numbering) एवं दौड़े के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोडाप्टस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार गिरावंत संपर्कात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. समिति की अनुशंसा की स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स श्री हेमंत साह विक लख भाईन की निम्न अंतिरिक्त शर्त के अन्तीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

"लीज डोब वी सीमा में घारों और 1 मीटर की पट्टी के लालू किये जाने वाले यूकारोपण की जानकारी गियोटेग (Geotag) फोटोडाप्टस सहित अर्थार्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में लिखित रूप से जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक की संशोधन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. वैश्वी सरकारी रटीन कक्षार (प्रौ.- श्री जयन्ती लाल पटेल), चाम-धनशुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (प्राधिकारण का नस्ती क्रमांक 2243) अंतिरिक्त आवेदन - प्रधानमन्त्री - एसआईए /सीजी /एसआईए /411933 /2022, दिनांक 24/12/2022 द्वारा श्रीओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रश्नाव का विवरण - यह पूर्व से संबालित चूना पत्थर (ग्रीन लैनिज) खदान है। खदान चाम-धनशुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर नियत खदान क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तराधिकारी - 69,691.5 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/01/2023 के माध्यम से नूचना दी गयी है कि आवेदन में नाम में चुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संघन 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार गिरावंत संपर्कात् सर्वसम्मति से आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रश्नाव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और पालवायु परिवर्तन बंडलिंग द्वारा जारी ई.आई.ए अधिसूचना, 2006 (या संशोधित) एवं समवय-समय पर जारी गई डलाईन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

3. नेशनल कॉर्टीन कवारी (धो.- श्री देव कुमार पटेल), ग्राम-हरितनापुर, राहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिका (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2240) औनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 411507 / 2022, दिनांक 24 / 12 / 2022 हारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पलबर (ग्रीष्म सामिज) खदान है। खदान ग्राम-हरितनापुर, राहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिका स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता - 20,416 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04 / 01 / 2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण को टीओआर हेतु औनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु औनलाईन आवेदन करने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राथिकरण द्वारा बैठक में विचार - उच्चसीक्ष प्रकरण पर प्राथिकरण की दिनांक 01 / 02 / 2023 को साप्तमी 130वीं बैठक में विचार किया गया। प्राथिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राथिकरण द्वारा विचार विभांग उपरांत संवैधानिकी से आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय किया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्राचल्य में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुमाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, दग और जलवायु परिवर्तन बंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। अधिकृत वर्ष, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक यो तदानुसार सुधार किया जाए।

4. नेशनल कॉर्टीन कवारी (धो.- श्री देव कुमार पटेल), ग्राम-हरितनापुर, राहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिका (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2241) औनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 411932 / 2022, दिनांक 24 / 12 / 2022 हारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पलबर (ग्रीष्म सामिज) खदान है। खदान ग्राम-हरितनापुर, राहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिका स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता - 20,416 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04 / 01 / 2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण को टीओआर हेतु औनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु औनलाईन आवेदन करने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में किया गया - उपरोक्त प्रकाशन पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/इस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा किया गया उपरोक्त सबैसम्मति से आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को बहाने में प्राप्त प्रारूप में उधारत डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई-आई-ए-अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समव-समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुधित किया जाए।

5. मैसरी रान रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़ेगुमदा, तहसील-परधोड़ा, जिला-रायगढ़

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / शीर्षी / आईएनडी / 292096 / 2022, दिनांक 10/10/2022। मैसरी रामेश्वरम रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़ेगुमदा, तहसील-परधोड़ा, जिला-रायगढ़ की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मैसरी रान रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड की नाम पर नामांकित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

1. यह परियोजना ग्राम-बड़ेगुमदा, तहसील-परधोड़ा, जिला-रायगढ़ के कुल क्षेत्रफल 38 एकड़, जगता विस्तार के तहत अंगत पीवर प्लॉट (एएक बी.सी.आयारित) क्षमता-4 गेगावीट से 8 गेगावीट एवं अंगत पीवर प्लॉट (बक्स्यू एवं आर बी.आयारित) क्षमता-4 गेगावीट से 6 गेगावीट की है।
2. पूर्व में भासत सलालर, पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन, नंत्रालय, पर्यावरण गवन, नई विली के पत्र क्रमांक J-11011/444/2007-IA.107 दिनांक 13/05/2009 द्वारा कुल क्षेत्रफल 38 एकड़ अंगत पीवर प्लॉट (एएक बी.सी.आयारित) क्षमता-4 गेगावीट से 8 गेगावीट एवं अंगत पीवर प्लॉट (बक्स्यू एवं आर बी.आयारित) क्षमता-4 गेगावीट से 6 गेगावीट हेतु मैसरी रामेश्वरम रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मैसरी रामेश्वरम रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मैसरी रान रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्ताक्षरण किये जाने वाला मैसरी रामेश्वरम रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनापरिलिपि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मैसरी रान रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मैसरी रामेश्वरम रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिसौचित शर्तों का वालन किये जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. मैसरी रान रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैसरी रामेश्वरम रटील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नव्य हुये पिछले विसेच की प्रति प्रस्तुत नहीं गई है।
6. उल्लीकारण संख्या 2707 / TS / CECB / 2020 नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2707 / TS / CECB / 2020 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक

02 / 07 / 2020 द्वारा संघ आगरन (2 बुमा 100 टन प्रतिदिन गोआवर्हाई लिया) कामता—60,000 टन प्रतिवर्ष, पीवर प्लॉट (एफ.बी.सी. आधारित) कामता—8 मेंगावीट एवं पीवर प्लॉट (हास्त्य एवं आर.बी. आधारित) कामता—4 मेंगावीट के लिए जात एवं वायु सम्पति नवीनीकरण जारी की गई, जिसकी सम्पति नवीनीकरण दिनांक 08 / 12 / 2020 तक की अवधि होनु की थी।

7. मेसर्स सन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसोर्स्यूशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. मेसर्स सन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डॉयरेक्टरों की सूची प्रस्तुत की गई है।
9. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीवर ऑफ एटीनी की घोषि प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरीकल एकाग्रण पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 10 / 2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज वा उदासोक्तन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्वि इस परियोजना को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम—बड़ेगुमदा, लहरील—घरपोड़ा, जिला—रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा लक्षणय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. मेसर्स रामेश्वरम स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम—बड़ेगुमदा, लहरील—घरपोड़ा, जिला—रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एण्ड पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मंगाये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में फिले गये कार्यवाही की उत्तुमिति की परिपेक्ष्य में स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर उत्तुमिति से प्राधिकरण वारे अवगत कराने हेतु श्री किशन शिंह धूप, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में डॉ. बोहरमाद रक्षीक खान, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. बोहरमाद बीपकर, सदस्य, राज्य सत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा हेत्रीय अधिकारी, हेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरकार भवल, रायगढ़ को समितिलिपि कराते हुये बार सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। बार सदस्यीय उपसमिति स्थल का निशीवाप्त करनी तथा अवगति सिथिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित विन्दुपार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निशीवाप्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन संख्या 1439, दिनांक 24/11/2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, बंजालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली तथा परियोजना प्रश्नावक को भार्गदर्शन मंचाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन संख्या 1443, दिनांक 24/11/2022 के परिवेक्षण में भी विज्ञप्ति लिख दुब, बादलव, राज्य बलशील विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. नोहम्मद रहीक खान, संस्कार, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार खोयकर, संदर्भ, राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मंडल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 05/01/2023 वो प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकाशन पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को ज्ञापन 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

- मेसर्स रामेश्वरम स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-बड़ेगुमड़ा, लहरील-धरधोड़ा, जिला-रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन संख्या 1439, दिनांक 24/11/2022 के परिवेक्षण में भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, बंजालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से भार्गदर्शन आया।
- उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथा विनानुसार है—

“राज्य बलशील पर्यावरण प्रभाव आकर्षण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 24.11.2022 के परिवेक्षण में मेसर्स रामेश्वरम स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-बड़े गुमड़ा, लहरील-धरधोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) वो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-बड़े गुमड़ा, लहरील-धरधोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के नाम पर नामांतरित किये जाने हेतु नाइन बार लादल्यीव उप समिति द्वारा दिनांक 12.12.2022 को उद्घोग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस को उद्घोग बंद जाया गया। उद्घोग प्रतिवेदन द्वारा बताया गया की पीवर प्लाट इकाई वर्ष 2016 से उत्पादनरत् नहीं है। संपूर्ण आयरण इकाई (02 गुणा 100 TPD) को दिनांक 02.12.2022 से किस्म संपादन एवं अन्य मशीनरी में सुधार हेतु बंद रखा गया है। उत्पादन बंद रखने हेतु कंपनी कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ को दिनांक 02.12.2022 को उत्पादन बंद करने की सूचना प्रदान की गई है। उद्घोग मेसर्स रामेश्वरम स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-बड़े गुमड़ा, लहरील-धरधोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को भारत सरकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से भार्गदर्शन मंचाये जाने हेतु सम्बन्ध पत्र लेख किया जाए।”

प्राधिकरण द्वारा विचार विभागी उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स रामेश्वरम स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड, शाम-बड़ेगुमड़ा, लहरील-धरधोड़ा, जिला-रायगढ़ को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स सन स्टील एप्ल पीवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन, बंजालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली से भार्गदर्शन मंचाये जाने हेतु सम्बन्ध पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलकान्य परिवर्तन, भूतालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को समरण पत्र लेख किया जाए।

6. मेसास लम्होंनी शिक्षा आर्थ क्षारी एप्ल शिक्षा किला प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री दीनबंधु साह), याम-लम्होंनी, तहसील-अभनपुर, ज़िला-रायपुर (साधिवालय का नम्बरी क्रमांक 1799)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसएडीए/ शीजी/ एमजाईए/ 227885 / 2021, दिनांक 05/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित शिट्टी उत्पादन (गौच खनिज) यादान एवं फिल्म शिगनी ईट उत्पादन इकाई है। यादान याम-लम्होंनी, तहसील-अभनपुर, ज़िला-रायपुर स्थित खासा क्रमांक 114, कुल बोकरफल-1.336 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। यादान की आवेदित उत्पादन क्षमता - 1,250 चानमीटर (ईट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, भूतीसगढ़ के द्वापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैठकों का विवरण -

(ब) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेलूराम शाह, अधिकृत प्रतिनिधि उपरियोग हुए। समिति द्वारा नम्बरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठियाँ पाई गई-

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति नामंत्री के विवरण -

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने के कारण उनके द्वारा समिति विभाग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्राप्त किये जाने का लेख किया गया था, जिसको परियोग में खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्रवाही कियराण तो प्रति प्रस्तुता की गई। समिति बता रहा है कि खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लाती के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्णीकरण तात्पुरता प्राप्त किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-रायपुर के द्वापन क्रमांक /३/ ख.लि./सीन-८/ 2021/ 573 रायपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा विभागीय में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्ननुसार है:-

वर्ष	ईट उत्पादन (नग)
2016	5,67,000
2017	6,30,500

2018	4,76,000
2019	6,08,000
2020	90,500

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरानन के संबंध में द्वारा पंचायत लम्बकोनी का दिनांक 08/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधान प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्तरानन खोजना — मीडिकाईड कार्यालय प्लान शिथ प्रोटोकॉल कार्यालयोंका प्लान एण्ड इन्वेस्टिगेट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त—संकालक (ज्ञाप्र.), संचालनालय, भौगोलिक सभा सानिकर्म, नवा रायपुर झटल नगर के छापन क्रमांक 3544/खानी02/ग्रा.प्ल.अनुसूचित/नक.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2021 हारा अनुसूचित है।
4. 500 ग्रीटर की परिधि में विष्वत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खणिज राज्य), जिला—रायपुर के छापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन-६/2021 रायपुर, दिनांक 16/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 ग्रीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरेक है।
5. 200 ग्रीटर की परिधि में विष्वत सार्वजनिक होम/सारंचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खणिज राज्य), जिला—रायपुर के छापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन-६/2021 रायपुर, दिनांक 16/08/2021 हारा जारी प्रगाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 ग्रीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम/जैसे सार्वजनिक स्थल, मंदिर, भविष्याद, भवधट, अस्पताल, रक्तसंग्रह, पुस्तकालय, एनीकट एवं उस आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिवर्षित होम निर्मित नहीं हैं।
6. लीज का विवरण — लीज भी दीनकंठु साहू के नाम पर है। लीज शीढ 05 वर्षी अवधार दिनांक 24/12/2005 से 23/12/2010 तक की अवधि हेतु कैम थी। लीज का नवीनीकरण दिनांक 24/12/2010 से 23/12/2020 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात लीज शीढ में 15 वर्षी भी, दिनांक 24/12/2020 से 23/12/2035 तक की आवधि दृष्टि की गई है।
7. भू—स्वामित्व — भूमि खासा क्रमांक 114 भी खंतु साम एवं आवेदक के नाम पर है। उत्तरानन हेतु भूमि स्थानी का सहनाति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — कर्व 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. सहरवपूर्ण सारंचनाओं की दूरी — निकटातम आवादी ज्ञान—लम्बकोनी 0.36 किमी, रक्खुल ज्ञान—लम्बकोनी 0.35 किमी, एवं अस्पताल अमनपुर 13 किमी. जी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय साजमार्ग 4.9 किमी, एवं साजमार्ग 1.3 किमी. दूर है। खालन नदी 0.6 किमी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जीवसंविधाता संवेदनशील होम — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्दीर्घीय लीभा, राष्ट्रीय साधान, अमनपुर, कंन्दीय छात्रवृण नियंत्रण होई द्वारा बोपिल किटिकली पौल्युटेड लूरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील होम या धीरित जीवसंविधाता होम रिष्वत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. स्थान संग्रहा एवं स्थान का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 25,120 घनमीटर, माइकेलल रिजर्व 19,252 घनमीटर एवं रिक्लॉइबल रिजर्व 19,269 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर और सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रस्तापित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 615 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युफ्ल लिंग से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तापित अधिकतम बहराई 2 मीटर है। देंद्र की ऊँचाई 1 मीटर एवं छोड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर फिल्टर विकास की ऊँचाई 33 मीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल 1,700 वर्गमीटर होगी। इट निम्नलिखित प्रिट्टी के साथ 30 प्रस्तापित चतुर्भुज का उपयोग किया जाएगा। स्थान की संभावित आपु 16.7 वर्ष है। एक लाख इट निर्माण हेतु 18 टन कोशले की आवश्यकता होगी। स्थान में कानू प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल फिल्टर की आवश्यकता भी गई है। अनुमोदित क्षमती प्राप्त अनुसार वर्षावार प्रस्तापित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तापित उत्थानन (घनमीटर)	इट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,250	12,50,000
द्वितीय	1,250	12,50,000
तृतीय	1,250	12,50,000
चतुर्थ	1,250	12,50,000
पंचम	1,250	12,50,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तापित उत्थानन (घनमीटर)	इट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,250	12,50,000
सप्तम	1,250	12,50,000
संपादन	1,250	12,50,000
नवम	1,250	12,50,000
दशम	1,250	12,50,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की आज्ञा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल शाड़खड़ कॉटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. कृषांगीय कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नन कृषांगीय किया जाएगा।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु सभितों को सम्पत्ति विस्तार से वर्षों संपर्कत निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.24	2%	0.82	Following activities at Government Primary School, Village- Lamkani	

		Rain Harvesting System	Water 0.43
		Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
		Plantation	0.10
		Total	0.93

समिति का गत है कि ऐन बीटर हार्वेसिंग व्यवस्था के स्थान पर साबनरीबल पंचलगाकर पाइप के माध्यम से रुनिंग बीटर एवं पैदा जल हेतु अलग—अलग टंकी स्थापित किया जाए।

15. सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति वज्र प्रस्तुत किया गया है।
17. सीईआर के तहत कृषाणुवेषण हेतु पीरों का तोषन, पौसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रुधि—रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकायार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि अनुमोदित क्षारी प्लान में माइग्रेबल रिजर्व 19,252 पनमीटर की मात्रा रिफ़ाइरेबल रिजर्व 19,289 पनमीटर की मात्रा से कम होना कहाया गया है, जो कि समय नहीं है। अतः उक्त के संझान में संगोष्ठित अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

रामिति द्वारा तत्त्वाग्रह सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सुनिज जिला से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कृषाणुवेषण की अवाहन सिध्धि की जानकारी पॉटोशापस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. उत्क्षणन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रभाग वज्र की (विठ्ठल दिनांक, नामिय एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अवाहन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. ईट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जामित ऐसा की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. जिंग—जीव छिल के निर्माण हेतु ड्राईग डिवाइन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल शारण बीटर अर्थार्टी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईआर के तहत ऐन बीटर हार्वेसिंग व्यवस्था के स्थान पर साबनरीबल पंचलगाकर पाइप के माध्यम से रुनिंग बीटर एवं पैदा जल हेतु अलग—अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



8. सीईआर के तहत कृषारोपण हेतु पीछो का रोपण, सुख्ता हेतु फैसिंग, खाद एवं शिथाई तथा रक्ष-रक्षाव के लिए 6 वर्षों का घटकलार व्यव का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. उपरोक्त वाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी बार्षिकाही चीज़ोंपरी।

उदानसार एसईएसी, उत्तीसगढ़ के छापन दिनांक 22/02/2022 के वरिपेश्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/06/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का उद्देश्य करने पर निम्न लिखित पाई गई है—

1. साथ ही कृषारोपण की अवधान लिखित की जानकारी के संबंध में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्कर्षन के संबंध में इस प्रायत लम्बानी का दिनांक 28/03/2022 का अनापूर्ति प्रवान पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. इट निर्माण हेतु उपयोग में लगभग 17 टन प्रतिवर्ष ऐसा जनित होता, जिसका उपयोग इट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के संधारण में किया जाएगा।
4. अनुमोदित क्षाती प्लान में माईनेश्वर रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिक्लॉरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना कलाया गया था, जो कि संभव नहीं है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार टॉकन ब्रुटियश रिक्लॉरेबल रिजर्व की मात्रा 19,289 टन थी, जिसे संयुक्त-संचालक (समिक्षा), संयोगात्मक, भौमिकी तथा स्थानिकी, नवा रायगुर अटल नगर द्वारा (अनुमोदित क्षाती प्लान के पैज क्र.-11) त्रुटि सुधार कर रिक्लॉरेबल रिजर्व की मात्रा 18,289 टन करते हुए संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. जिग-जैग डिल्न के निर्माण हेतु द्वार्डें, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित क्षेत्र में जिग-जैग डिल्न के स्थान पर चूर्चा से विकसित विनाई (Type BTK) समर्पित है।
6. जल की आपूर्ति बोरवेल के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा टैकर के मालाम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापूर्ति स्थान पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. सीईआर के तहत रेन बॉटर हाईसिटिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिवल पंप लगाकर पाईप की मालाम से रेनिन बॉटर एवं पेकजल हेतु अलग-अलग टॉकी स्थापित किए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
8. सीईआर के तहत (जामुन, नीम एवं आम) कृषारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पीछो के लिए राशि 2,500 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 11,500 रुपये, खाद के लिए राशि 400 रुपये, शिथाई तथा रक्ष-रक्षाव आदि के लिए राशि 3,600 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 18,000 रुपये के लिए 6 वर्ष हेतु घटकलार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

९. लानिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्थीरता के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (लानिज शहर), जिला-रायपुर के द्वारा प्रकाशित/क्र./खालि/टीन-६/2022/10 रायपुर दिनांक 04/04/2022 के अनुसार "कार्यालयीन पत्र छन्मांक 374 दिनांक 24.06.2017 के ताहत श्री दीनचंद्र साहू को स्थीरता उत्तराधिकारी द्वारा 1.338 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण सम्पत्ति आदेश जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्पत्ति आदेश संलग्न नहीं होने एवं पट्टेदार के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।" होना चाहिया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीरता जारी नहीं हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिना पर्यावरणीय स्थीरता के उत्तराधन किया गया है। समिति का मत है कि दिना पर्यावरणीय स्थीरता प्रति के उत्तराधन वित्त जाना ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राकाशनों का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन की ओर में आने के कारण उल्लंघन का उल्लेख करते हुये पुनः आनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विभार विभाग उपरान्त सर्वसम्मिति से उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा औनलाईन आवेदन पार्ने में उल्लंघन का उल्लेख नहीं करने के कारण अवैधित प्रकरण को कि-टिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का यह भी निर्णय है कि परियोजना प्रस्तावक को ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राकाशनों के तहत संलग्नपन का उल्लेख करते हुये विहित प्राप्ति में औनलाईन आवेदन किये जाने की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संपन्न 136वीं बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त प्राप्त अधिसूचनों एवं उपलब्ध नस्ती का अवलोकन कर विवार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विभार विभाग उपरान्त सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री एन.को. चंद्राकर, सदस्य, रायपुर स्थानीय अधिकारी, हेतु स्थानीय कार्यालय, छलीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, रायपुर को समितिलिपि करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करनी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करते हुये कलश्युक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित दिनांक दिनांक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एन.ई.आई.ए.ए. छलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 05/09/2022 द्वारा श्री एन.को. चंद्राकर, सदस्य, रायपुर स्थानीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं समि अधिकारी, जिला-रायपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, हेतु स्थानीय कार्यालय, छलीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, रायपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 11/10/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 09/11/2022 को अद्यतन स्थिति से अवगत करते हुये कलश्युक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित दिनांक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विवार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/11/2022 को संपन्न 133वीं बैठक में विवार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

- With reference to the letter No. 908/SEAC CG/ Raipur/1799, Nava Raipur Atal Nagar Date 05/09/2022, a sub-committee of three members Shri N.K. Chandrakar, Expert Member of SEAC CG, Mining Officer of Raipur and Regional Officer Raipur CECB was constituted to inspect Bricks earth quarry and brick kiln project which is granted lease till 22/12/2035 to Mr. Deenbandhu Sahu, Village - Lamkeni ,Tehsil - Abhanpur, District - Raipur for renewal of Environmental Clearance. Previous environment clearance was granted for five years to the project proponent through letter no. 374/DEIAA CG/EC/Khanij/2016.
- The site was visited on 11/10/2022 where Mining Inspector Raipur, project proponent Mr. Deenbandhu Sahu Project proponent and Mr. S.K. Chaudhary, Sub Engineer CECB, Mr. M.K. Srivastava, Chemist CECB and some villagers were present. (Panchnama enclosed).

Following observations were made during the inspection:

- Annual mining limit of brick earth is within prescribed limit of 1500 cubic metre per year and boundary of lease area is marked with permanent pillars. (Photographs enclosed).
- Waste water from the brick work production process is not discharged into natural water stream also necessary provisions have been made so that storm water in lease area does not come in contact with polluted waste water.
- No waste material is dumped in the peripheral 7.5 meter wide safety zone and sufficient plantation has been done in this area.
- Tree guard has been used to protect the trees and enough plantations of trees like neem, ashok, mango, karanj etc. as per the guidelines of Environmental Clearance was also found in the lease area.
- Labours of the brick work project are provided facility of clean drinking water, toilets, shoes, helmet and first aid kits.
- The inspection of lease area does not indicate any type of violation with respect to Environmental Clearance guidelines and project proponent is willing to comply all the terms and conditions of SEAC Chhattisgarh. (Affidavit enclosed).
- Recent NOC from village panchayat has also been submitted and this project is not a part of any cluster. (Copy enclosed).
- The project proponent submitted affidavit before the SEIAA to comply all the terms and conditions. (Copy enclosed).
- Apart from above there is no Brick kiln chimney within 1 KM radius and population 600-800 meter from lease area.

Therefore it is recommended to renew the Environmental Clearance."

राष्ट्रीय ही प्रतिकरण द्वारा यह मी नोट किया गया कि:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचना के अनुसार के अन्तर्गत संभिज विभाग द्वारा परामितीक स्थीरता हेतु आयोगित बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत कार्यवाही विवरण अनुसार पूर्ण रिता संतीय विशेषज्ञ निर्वाचित समिति की बैठक दिनांक 21/03/2017 में कुल 24 प्रकरणों पर परामित रामति दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

2. उपरोक्त कार्यवाही प्रिवरण के अंतर्गत उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्षेत्र परियोजना प्रशस्तावक को पूर्ण में जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति जारी की गई है अथवा नहीं? अतः प्राधिकरण का बता है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर से पर्यावरणीय स्थीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी मंचाया जाना आवश्यक है, ताकि प्रकरण पर विचार किया जा सके। प्राप्त जानकारी अनिवार्यी रूप से प्रति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर को पत्र के साथ संलग्न किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में प्राधिकरण द्वारा उत्तमय रार्ड सम्मति से विर्य किया था कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर से उपरोक्त कार्यवाही प्रिवरण के संबंध में स्पष्टीकरण एवं आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्थीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रेषित किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही वर्ती जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 के परिपेक्ष में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/01/2023 को प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा वैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को शोपन 138वीं वैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नीट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन दिनांक 2958/खनिज/पिटौ/न.प्र.-Ab 9/2022 रायपुर दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य विभानुसार है:-

“पूर्व में कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक/क.ख.लि./टीम-6/2022/10 रायपुर दिनांक 04.04.2022 के अनुसार कार्यालयीन पत्र दिनांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत वीं दीनबंधु साहू की स्थीकृत उल्लेखिपड़ा होत्र रकम 1.336 है, पर पर्यावरण स्थीकृति जारी किया गया है। यूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उपरांत कहाना संभव नहीं है।” होना लेखा किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में लेखा है कि जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकान समिति (की.ई.ए.सी.) रायपुर की वैठक दिनांक 15.03.2017 में चुने 31 प्रकरणों को सुनवाई कर पर्यावरण स्थीकृति प्रदाय करने हेतु निर्णय दिया गया। वैठक के कार्यवाही प्रिवरणानुसार विन्दु दिनांक 20 अनुसार आवेदक वीं दीनबंधु साहू को ज्ञान लम्बानी तहसील अनन्दपुर के नियोगी भूमि खासा नं. 114 जाम रकम 1.336 है, पर स्थीकृत मिही उल्लेखिपड़ा की पर्यावरण स्थीकृति दिनांक 23.12.2020 रात्र प्रदाय करने विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया जिसके पश्चात अधिग्रहण कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (की.ई.आई.ए.ए.) रायपुर में प्रस्तावित किया गया है।

जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (की.ई.आई.ए.ए.) के वैठक दिनांक 21.03.2017 में दिनांक 14.02.2017 के 04 एवं दिनांक 15.03.2017 के 31 चुने 35 प्रकरणों पर सुनवाई वीं गई जिसमें 24 प्रकरणों को पर्यावरण सम्मति प्रदाय करने का निर्णय लिया गया जिसमें वीं दीनबंधु साहू का प्रकरण समिलित है। उपरोक्तानुसार परियोजना प्रशस्तावक वीं दीनबंधु साहू को पूर्ण में जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति प्रदाय किया गया है। संबंधित वैठकों की छापा प्रतियोग प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विभाष विभार्ती उपरात सर्वेशमति से निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के द्वापन क्रमांक 2052 / खनिज / नं.क्र.- AB 9 / 2022 जसपुर, दिनांक 03 / 01 / 2023 से प्राप्त जानकारी एवं उपरोक्त घट्यों के परिवेष्य में परीक्षण उपरात उपग्रह अनुसंधा किये जाने हेतु प्रकरण को एसईएसी, छलीसगढ़ के रामा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एसईएसी, छलीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स दुलदुला विकास अर्थ को बाहरी एचडी फिक्स विमनी विकास प्लाट (प्रौ.- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), चान-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जसपुर औनलाइन आवेदन - ड्रोगल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईए / 200458 / 2022, दिनांक 28 / 08 / 2022। श्री महेश प्रसाद गुप्ता, विमानी शाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जसपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स दुलदुला विकास अर्थ को बाहरी एचडी फिक्स विमनी विकास प्लाट (प्रौ.- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), शाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जसपुर के नाम पर नामांतरण (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण -

- यह खदान शाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला, जिला-जसपुर के खासरा क्रमांक 559 / 17, 559 / 18, 559 / 2, 559 / 7, 559 / 19, 559 / 20, 559 / 21 एवं 561, कुल लीज हेक्टेक 2.255 हेक्टेक, निट्रो (गौण खनिज) उत्थानन खदान शामत-1,400 घनमीटर (हेट उत्थान इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष की है।
- मूर्वे में जिला सरकारी पर्यावरण रामाधात निर्धारित प्राधिकरण, जिला-जसपुर के द्वापन क्रमांक 108, दिनांक 21 / 02 / 2017 द्वारा कुल क्षमता हेतु श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति पारी की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के पू. आवेदा क्रमांक 758 / ए / ख.श. / 2017 जसपुर, दिनांक 28 / 08 / 2017 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर शेष अवधि (मूल स्वीकृत अवधि दिनांक 10 / 12 / 2010 से 09 / 12 / 2040 तक) हेतु उत्थानिकरण का अलमण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुरा के द्वापन क्रमांक / 1852 / खनिज / खनि. 3 / उत्थानन यो. / 2020, दिनांक 04 / 12 / 2020 द्वारा "श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता" के नाम पर रिवर्झन करारी प्लान जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विभार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16 / 09 / 2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विभार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नर्सी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्त्वाग्रह सर्वेशमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृष्ठ ने जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिसूचित शर्तों को पालन में दी गई कारबाही की जानकारी कोटोप्रत्या राखित प्रस्तुत की जाए।
- दिग्गत वर्षों में किए गए उत्थानन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रभागित कराकर प्रस्तुत की जाए।

3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता को मेसर्स द्वलदुला डिव्हिस अर्थे कले चवारी एम्ब डिव्हिस डिमनी डिव्हिस प्लॉट (ओ- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार इस हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 के चरित्रेय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संघन 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अदालोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता में अधिसौंपित रक्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फॉटोड्राप्ट सहित प्रस्तुत की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खानि शास्त्रा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खानि.शा./2022 जसपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विभत्त कर्ता में किये गये उल्लंगन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (थनमीटर)
2017	1,190
2018	1,280
2019	620
2020	100
2021	600
2022 (नार्व तक)	440

3. श्री महेश प्रसाद गुप्ता द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता को मेसर्स द्वलदुला डिव्हिस अर्थे कले चवारी एम्ब डिव्हिस डिमनी डिव्हिस प्लॉट (ओ- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संघन 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदालोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

- पर्यावरणीय स्थीरता में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदित प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खानि शास्त्रा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 369/खानि.शा./2022 जसपुर, दिनांक 18/10/2022 द्वारा विभत्त कर्ता में किये गये उल्लंगन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,190 थनमीटर उल्लंगन किया जाना बताया गया है।
- उक्त आवेदित प्रकरण के अलिंगन ही की संसारे एवं क्षेत्रफल (जलसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 661, युत्त शेत्रफल - 2.255 हेक्टेयर) हेतु एक अन्य अनिलाईन आवेदन (प्रपोर्टल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 243410/2021, दिनांक 25/12/2021) पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-ज़शपुर के द्वापन क्रमांक 282/खनि. जा./2021 ज़शपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा दिग्दत वर्षी में किये गये उत्थनन की जानकारी में वर्ष, 2017 में 1,910 घनमीटर उत्थनन किया जाना बताया गया है।

3. उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों के सुल्पादन आंकड़ों में दिग्दत के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-ज़शपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपग्रहित प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण बताया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा उत्थनन की विवरणीय संस्थानों में दिग्दत वर्षी में किये गये उत्थनन की जानकारी में उपरोक्त दोनों प्रमाण पत्रों के उत्पादन आंकड़ों में दिग्दत के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-ज़शपुर से स्थिति स्पष्ट करते हुये उपग्रहित प्रमाणित जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सूनिकर्म, नवा ज़शपुर अटल नगर को भी उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वापन क्रमांक 1360, दिनांक 21/11/2022 के परिवेक्षण में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा सूनिकर्म, नवा ज़शपुर अटल नगर से जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वापन क्रमांक 1369, दिनांक 21/11/2022 के परिवेक्षण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-ज़शपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

‘कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 282 दिनांक 24.09.2021 में दी गई जानकारी 12/2010 से 03/2021 तक किये गये उत्पादन की है। इसी प्रकार इस कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 369 दिनांक 18.10.2022 के नाम्यम से दी गई जानकारी ज़िला स्तरीय पर्यावरण समापात नियांरित प्राधिकरण ज़शपुर छ.ग. द्वारा भी बहुत प्रभाव गुणा, नियासी जाम-दुलदुला, तहसील-दुलदुला को जाम-दुलदुला, जाम पंचायत दुलदुला, तहसील-दुलदुला लिखत भूमि रक्तनं 569/2, 569/7, 569/17, 569/18, 569/19, 569/20, 569/21, 561 कुल रक्तना 2.255 है। क्षेत्र पर सूनिकर्म निही (ईट) के लिए पर्यावरण सम्मति द्वापन क्रमांक/108/दी.ई.आई.ए.ए./ही.सी./ज़शपुर/2017 ज़शपुर, दिनांक 21.02.2017 जारी होने के पश्चात उत्त क्षेत्र में माह मार्च 2017 से 03/2022 तक किये गये उत्पादित मात्रा की वर्तकार जानकारी है। वर्ष 2017 में पर्यावरण सम्मति जारी होने के पूर्व (माह जनवरी-फरवरी 2017 में) 720 प्र.मी. तथा पर्यावरण सम्मति जारी होने पश्चात मार्च से दिसंबर महीने के मध्य 1180 प्र.मी. उत्पादन किया गया है।’

इस प्रकार उपष्ट है कि वर्ष 2017 में कुल उत्पादन 1910 प्र.मी. ही किया गया है। पहुंचार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उनके मान के अनुसार उक्त दोनों प्रमाण पत्र तैयार कर इस कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें पर्यावरण सम्मति जारी होने के पश्चात की मात्रा गई जानकारी में वर्ष 2017 में उत्पादन कार्यालयीन अधिकार अनुसार 1180 प्र.मी. है।’

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

प्राधिकरण द्वारा माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बैच, नई दिल्ली के ओ.ए. अमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी आदेश अनुग्रह।

14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2016 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.

माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बैच, नई दिल्ली के ओ.ए. अमांक 07/12/2022 में दिये आदेश के अनुग्रह में प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वोच्चमंत्री से आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सत्य ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्राप्ति में व्यापक डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है क्योंकि प्रस्ताव को वर्तमान में यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंडलिंग द्वारा जारी ईआईए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी नाईसलाईन्स के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावको तदानुसार बहुधित किया जाए।

८. मेहरी खेलखेल, इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोनेट रोड, याम-कुलद, मंदिर हसीद, तहसील व जिला-रायपुर

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईए / 287493 / 2022, दिनांक 08/08/2022। मेहरी गोनेट इस्पात एनजी लिमिटेड, गोनेट याम, मंदिर हसीद, जिला-रायपुर की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेहरी खेलखेल, इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोनेट रोड, याम-कुलद, मंदिर हसीद, तहसील व जिला-रायपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण —

1. यह खदान याम-हाटालदी, तहसील-मानुप्रतापपुर, जिला-कालेंग के चुल तीज कोड 78.9 हेक्टेयर, आपरेटर और (मुख्य व्यक्ति) उत्खनन खदान कमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष वर्षी है।

2. पूर्व में आसा सरकार, यर्दीवरण, कन एवं जलकामु परिवारों, भंजालय, यर्दीवरण भवन, नई दिल्ली के पञ्च इमारत J-11016/294/2015-14.8(M), दिनांक 17/06/2017 द्वारा कुल सीज लेट्र 78.9 हेक्टेकर, आवरण और (मुख्य खनिज) उत्तरानन सदान समता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय सीजूति जारी की गई है।
3. बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय सीजूति को बेससी जौएस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने वाले बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रभाव पञ्च प्रस्तुत किया गया है।
4. बेससी जौएस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पूर्व में बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय सीजूति में अधिसूचित शर्तों का पालन किये जाने वाले आपदा पञ्च पञ्च (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ यर्दीवरण संस्कारण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के आपन दिनांक 6203 / टी.एस./ बी.ई.सी.बी./ 2020 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 01 / 12 / 2021 द्वारा आवरण और (मुख्य खनिज) उत्तरानन सदान कमता-1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं जामु सम्मति जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु की है।
6. बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड एवं बेससी जौएस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को जारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड एवं बेससी जौएस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पांच ऑफ एटीनी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अकलीकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा तात्काम्य सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि:-

1. बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग सीज लीज को बेससी जौएस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने वाले समान प्राधिकारी से शासीकृत माईनिंग सीज लीज की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीजूति में अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोप्रावक्ष सहित प्रस्तुत की जाए।
3. बेससी बोनेट इस्पात एप्ल एनर्जी लिमिटेड से बेससी जौएस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समर्थ आवश्यक विधिक प्रमाण पञ्च / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त पांचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

एस.इ.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 21/10/2022 के परिपेक्ष में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीका प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संघन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया फि:-

1. मेसर्स मौनेट इस्पात एप्ल एनजी लिमिटेड के नाम से जारी माझेंग लीज लीज को मेसर्स जी.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने वाले माझेंग लीज लीज की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार लीज की वैधता दिनांक 06/01/2007 तक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता में अधिकारीपत्र जाती के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोशाप्स सहित प्रस्तुत किया गया है।
3. मेसर्स जी.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से SECTION 13(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 के तहत जारी रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. मेसर्स मौनेट इस्पात एप्ल एनजी लिमिटेड से मेसर्स जी.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर छंतरण किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पत्र की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वेसम्बन्धि से निर्णय लिया गया था कि मेसर्स मौनेट इस्पात एप्ल एनजी लिमिटेड से मेसर्स जी.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर छंतरण किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जावें।

एस.ई.डब्ल्यू.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/12/2022 के परिषेक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अवर संचित, छत्तीसगढ़ शासन खानिज साधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर झट्टल नगर के आदेश द्वारा एक 7-29/2020/12 दिनांक 06/04/2022 द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित सभ्य निमानुसार है:-

“खनियद्वारा की कंपनी मेसर्स मौनेट इस्पात एप्ल एनजी लिमिटेड का नाम परिवर्तन दिनांक 23.09.2020 से Ms. JSW Ispat Special Products Limited के नाम से होने पर खनिज (पर्याप्त और उद्दृढ़ोकारीन छारी खनिजी से भिन्न) रियायत विभाग, 2016 के नियम 61 के प्राक्षयानांतर्गत राज्य शासन एतदव्याचा पैदा-8 में उल्लेखित शर्तों के अधीन मेसर्स मौनेट इस्पात एप्ल एनजी लिमिटेड का नाम Ms. JSW Ispat Special Products Limited के नाम परिवर्तन की अभियानीकृति प्रदान करती है।”

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीका प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संघन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उपरीका तथ्यी एवं दस्तावेजी के अधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विवर्षा उपरांत सर्वेसम्बन्धि से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग से अंतरण किये जाने हेतु आदेश पत्र की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को रायनुसार सुधित किया जाए।

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अधिकारात्मक होने के पश्चात् नियमानुसार खदानों कार्यव्याप्ति जारी रखे जाने के संबंध में वार्गिकीय लिखे जाने बाबत्।

श्री नवनिदेश सिंह गरवा, अव्यक्त राजनांदगांव क्षेत्र संघ के पत्र दिनांक ०१/०४/२०२२ के संहर्म में कार्यालय कलेक्टर (खानी शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक ०८/०४/२०२२ को एसईआईएए, छत्तीसगढ़ के समझ किये गये औनिलाइन आवेदन के आधार पर पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अधिकारी समाचार होने के पश्चात् नियमानुसार खदानों कार्यव्याप्ति जारी रखे जाने की सूचना के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

आवेदन लिखित रहने पर पट्टाघारकों को खिलाय नुकसान होने के साथ ही खदानों में नियुक्त नजदीकी के समझ भी रोकगाह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस बाबत् पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं कोटि के संदर्भित आदेश को संझान में लेते हुए खदान में कार्य उत्पादन तथा विक्रय राहित यथावत् जारी रखने की सूचना प्रस्तुत की गई है। साथ ही उकित वार्गिकीय चाहा गया है।

वैठक का विवरण -

(अ) नवनिदेश की ४०३वीं वैठक दिनांक २५/०४/२०२२:

नवनिदेश द्वारा नवरी, प्रस्तुत जानकारी का उत्पादन एवं परीक्षण करने पर जिम्मा लिखित पाई गई-

1. यह की, जिला सतरीय पर्यावरण समाधार नियांत्रण प्राधिकरण, राजनांदगांव (उ.ग.) द्वारा जिले में संचालित १५० से अधिक उत्पादितटों की वर्ष २०१८ से २०१८ के मध्य प्रबलित नियमानुसार आवेदनोंपरांत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति की अवधि ३१/०३/२०२० दर्थित है, जिसे कोविड-१९ वहानारी को संझान में लेकर पृथक—पृथक आदेश से ३१/०३/२०२२ तक सत्रारित कर दिया गया था।
2. यह की, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उ.ग. गौण नवनिज नियम २०१५ (२३/०३/२०१६ को संसोधित) अनुसार पूर्व में जारी पट्टों के अधिकारी का प्रथम स्वीकृति दिनांक से ३० वर्ष हेतु विस्तारण/नवीनीकरण अनुबंध पट्टा धारकों द्वारा संपादित कराया गया।
3. यह की, MoEF&CC द्वारा जारी आदेश अन्वयक-४ J-11011/15/2012-IA, II(M) दिनांक २०/०३/२०१५ (प्रति सालान) के अनुसार रूपरूप किया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् पट्टा नवीनीकरण होने पर पूनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है, एवं पर्यावरण स्वीकृति की अवधि ३० वर्ष होगी, जिसे संझान में लेते हुए भव्यतादेश राज्य सतरीय पर्यावरण समाधार नियांत्रण प्राधिकरण, द्वारा ईकट्ठने मिलान, झीसी के प्रकरण की ३० वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया, परन्तु सामान प्रकरण होने के उपरान्त भी छत्तीसगढ़ राज्य सतरीय पर्यावरण समाधार नियांत्रण प्राधिकरण, द्वारा आवेदकों के प्रकरण का नियांत्रण अद्यतन नहीं किया गया है।
4. राजनांदगांव जिले में MoEF&CC द्वारा नवीनित सम्बन्ध प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में वार्गित पर्यावरण स्वीकृति ३१/०३/२०२० (विस्तारित ३१/०३/२०२२) तक की सीमित उत्पादित पर्यावरण स्वीकृति ३० वर्ष (पूर्ण पट्टा अवधि) हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।

5. जलीनन ने पट्टेदारी हात सर्वोत्तम स्वीकृति की अवधि विस्तारण हेतु समस्त जानकारी पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।
6. श्रीगांग जी से यह भी अनुरोध है कि बृद्धया संघाम अधिकारी/विभाग को निर्देशित करें कि पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की अवधि की जानकारी को बाद भी जब तक पट्टेदार का आवेदन संज्ञानसंग्रह पर्यावरण समाचार निपालिन प्राधिकरण, सम्पुर (छ.ग.) के समस्त लैंबित है/अस्वीकृत नहीं किया गया है तब तक खदान से सुखाइन एवं विकाय पूर्णतः जारी रहने दें, जूँकि एकलीएम मिनरल्स विरुद्ध एनडीआईएप् एफ औभारद्वारा को गान्धों में सुनीच कोर्ट के आदेश दिनांक 24 / 12 / 2014 के अनुसार रपट किया गया है कि—
- "a. EC in respect of mining projects for the entire project life subject to a max. period of 30 year.
- b. Mining operations shall not be impeded on account of EC."
7. आवेदन लैंबित रहने पर पट्टा धारकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ ही खदानों में नियुक्त मजदूरों के समस्त भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इस बावजूद पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति एवं कोर्ट के संदर्भित आवेदन को संझान में लेते हुए खदान में कार्य सुखाइन लक्ष्य विकाय सहित यथावत् जारी रखे जाने की सूचना प्रस्तुत है एवं उक्ति भावीदर्शन अपेक्षित है। सुखाइन कार्य की निरंतरता बनाये रखने में सहयोग प्रदान कर हम सभी आवेदकगणों को अनुशंशित करें।
- राखिति द्वारा विचार विभार द्वारा संपर्कात सर्वसांत सर्वेत्तामति से विभान्ननुसार विचाय लिया गया—
- पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित फैलता की गणना पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से प्रारंभ कर पत्र में निर्धारित समाप्ति अवधि के पूर्व नाईमिंग औपरेशन्स प्रारंभ कर लेने की दराना में पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलता की गणना लीज द्वीप क्षियान्नायन दिनांक से रहेगी।
 - उपरोक्त कथिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का आ. 1807(अ) दिनांक 12 / 04 / 2022 के पूर्व समाप्त हो जाती है, उन परियोजनाओं को पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा जाना अनिवार्य होगा।
 - उपरोक्त कथिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलता भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का आ. 1807(अ) दिनांक 12 / 04 / 2022 की अध्यया इस दिनांक के उपरान्त वैध है, उन खनन परियोजनाओं में—
 (अ) ऐसे प्रकारण जिनमें खदानों की कोटेश्वरी अद्यतन स्थिति में यही है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के समय थी, उनमें परियोजना प्रस्तावक की पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलता में दृष्टि हेतु फार्म—6 में आवेदन करना होगा।
 (ब) ऐसे प्रकारण जिनमें खदानों की कोटेश्वरी अद्यतन स्थिति में पिस्तकी स्थिति परिवर्तित हो रही (जैसे बी—2 से बी—1) है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का आ. 1807(अ) दिनांक 12 / 04 / 2022 के आधार पर किया जाना है अध्यया पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलता अवधि में विस्तार हेतु परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन भारना होगा। इस संकेत में भारत सरकार,

पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए होगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति की फैलता के संबंध में उपरोक्त अभिनव प्रस्तुत है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संघन 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/अभिनव का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार परिभिति की समरत अनुशंसा को गान्ध करने का निर्णय किया गया तथा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3 (b) के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

उदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2022 के परिपेक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/12/2022 को भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस ऐमोरेन्टम दिनांक 13/12/2022 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12/04/2022 के पूर्व एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णगढ़ के समक्ष प्रस्तुत आदेश को 30 वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने वाले अनुसंध पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त आदेश क्रमांक F.No. 1A3-22/28/2022-1A.111[E181684] दिनांक 13/12/2022 की कलिका 20) के द्वारा वह स्वष्टि किया गया कि:-

“जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति की फैलता सुनिश्चित हेतु आवेदन परियोजना प्रस्तावकी द्वारा दिनांक 12/04/2022 के पूर्व SEIAA के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है वह स्वतः 30 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित होगी एवं गान्ध की जाएगी।”

उक्त आदेश के अनुपालन में जिन परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की फैलता सुनिश्चित हेतु आवेदन दिनांक 12/04/2022 के पूर्व एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है उन आवेदनों पर उल्लिखित करते हुये स्थानिक विभाग की अवगत कराये ताकि परिषहन पास पापा कर उत्थानन कार्य सुधार कर सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संघन 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा आदेश का अवलोकन करने पर पापा किया गया कि यानीय एन.जी.टी. ब्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली के ऑ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न हैं:-

14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2018 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (*supra*) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by DEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-

appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.

15. Action taken report in this regard be filed by MoEF&CC before this Tribunal within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग संबरत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एनजीटी, प्रीसिपल बैच, नहू पिल्ली के आदेशों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हुए अ.ए. अधिसूचना, 2006 (ज्ञान संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार पत्र लेख किया जाए।

एजेंट्स आयटम क्रमांक-६

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद द्वारा भेसर्व हीरापुर सेष्ट माईन (प्रो.- श्री राहील अहमद खान), ग्राम-हीरापुर, तहसील व जिला-बालोद को ऐत उत्थानन हेतु जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैष्ठता के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने वायत।

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद द्वारा भेसर्व हीरापुर सेष्ट माईन (प्रो.- श्री राहील अहमद खान), ग्राम-हीरापुर, तहसील व जिला-बालोद को ऐत उत्थानन हेतु जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैष्ठता के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने वायत।

एस.ई.आई.ए.ए. उल्लीकरण के ज्ञापन क्रमांक 1595, दिनांक 28/12/2020 द्वारा श्री राहील अहमद खान, हीरापुर सेष्ट माईन, खसरा कामांक 01(पाटी), 765/1(पाटी), ग्राम-हीरापुर, तहसील व जिला-बालोद, कुल लौज क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर दोत्र में, ऐत उत्थानन अधिकारम 1 मीटर तक गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 पनमीटर प्रतिवर्ष ऐत उत्थानन हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद द्वारा भेसर्व हीरापुर सेष्ट माईन (प्रो.- श्री राहील अहमद खान), ग्राम-हीरापुर, तहसील व जिला-बालोद को एस.ई.आई.ए.ए. उल्लीकरण के ज्ञापन क्रमांक 1595, दिनांक 28/12/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैष्ठता के संबंध में दिनांक 04/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

“रेत उत्तरानन हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी दिनांक 28.12.2020 से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति प्रदान वर्ती गई थी। जिसकी पैषता दिनांक 27.12.2022 को समाप्त हो रही है। संबंधित प्रकरण में बानीय उच्च न्यायालय, जिलासपुर, ओ.ग. द्वारा याचिका इनांक WP (C) 100/2022; Fasih Ahmed Khan Vs State of Chhattisgarh & 02 Other's के आदेश दिनांक 11.04.2022 तथा न्यायालय बंधालक भीमिकी तथा खानिकम के आदेश इनांक 3323/पिरि. प्रक्रोष/ W.P.(C) No. 100 / 2022 नवा रायपुर दिनांक 16.06.2022 के अनुसालन में कार्यालयीन चत्र इनांक 490 / ख.लि./रेत-एक /2022-23 बालोद दिनांक 28.06.2022 द्वारा अधिनानी बोलीदार श्री राहील अहमद खान आ. शरीफ अहमद खान, निवासी छोटापारा रायपुर जिला रायपुर (ओ.ग.) के पक्ष में ऐत खदान का उत्तराधिकारी की स्थीरकृति दी वर्त की अवधि हेतु स्थीरता किया गया। स्थीरता रेत खदान का अनुबंध दिनांक 18.08.2022 से 18.8.2024 तक किया जाकर, चू-प्रवेश की अनुमति दिनांक 18.11.2022 को जारी किया गया।

उपरोक्तनुसार कृपया “पर्यावरणीय स्थीरकृति की पैषता को अनुबंध लिखि से बान्ध किया जाए या नहीं” के संबंध में शीघ्र भागदान प्रदान करने पर कष्ट करने विसर्जन की उत्तराधिकारी से बता जा सके।”

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01 / 02 / 2023 को लंबन 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अद्वैतानन विचार किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन भवालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12 / 04 / 2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न हैं—

“(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में पैषता खनन पद्धति के निरपादन की तारीख से दिए जाएंगे।”

प्राधिकरण द्वारा विचार किया हुपरांत सर्वान्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन भवालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12 / 04 / 2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्थीरकृति की पैषता बान्ध होनी।

कार्यालय कलेक्टर (खानिक शासा), जिला-बालोद की तदानुसार शुरूत किया जाए।

एकेष्ठा आयट्ट्य इनांक-6 अवधि बालोद की अनुमति से अन्य विषय।

- गैरवी श्री सुदेश कुमार सिवाना (अरीद सेन्ट मार्टिन, याम-अरीद, तहसील ब जिला-बालोद), याम-मुजरा, तहसील-झीम्ही, जिला-बालोद (संविवालय का नस्ती इनांक 1013)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति की पैषता के संबंध में दिनांक 19 / 01 / 2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.र., छत्तीसगढ़ के द्वायन इनांक 1458, दिनांक 15 / 01 / 2020 द्वारा श्री सुदेश कुमार सिवाना, अरीद सेन्ट मार्टिन को पार्ट और छत्तीसगढ़ इनांक 01,

ग्राम-अरीद, तहसील व ज़िला-बालोद, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में ऐत उत्तरानन अधिकारीनाम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 पनडीटर प्रतिहर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई। उत्तरानन में परियोजना प्रस्तावक हासा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उत्तरानन तथा निम्नानुसार है:-

“ऐत उत्तरानन हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष (दिनांक 15/01/2020 से 14/01/2022) हेतु प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय स्थीकृति के पश्चात हमारे हासा लीज अनुकूल बायांलय कलेक्टर बालोद ज़िला बालोद से नियमानुसार कराया गया है जिसकी अवधि 20/02/2020 से 19/02/2022 प्रदान की गयी थी जिसका एक वर्ष के लीज नगीनीकरण/पिसारीकरण पश्चात लीज अवधि दिनांक 20/02/2020 से 19/02/2023 हो गयी है।

एव्वं उत्तरानन पर्यावरण नियमानुसार प्राधिकरण को पत्र नामांक 1336/ईसी/रायपुर/2021 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरण स्थीकृति में 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्ण पर्यावरणीय स्थीकृति की विधिव्यवस्था की मानना के प्रयोजन में के लिए विचार नहीं किये जाना है, अतः उक्त क्षेत्र की पर्यावरण स्थीकृति अवधि 14/01/2023 तक के लिए वैध है।

किन्तु पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार खनन परियोजनाओं वा गतिविधियों के मानसे में वैधता खनन पट्टे के नियादन की तारीख से दिया जाना प्रवतावित है।”

उपर्युक्त तथ्यों को छ्यान में रखते हुए जारी पर्यावरण अवधि को लीज अनुकूल दिनांक (19/02/2023) तक मान्य घोष्ये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण हासा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संघन 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हासा मस्ती/इस्ताकोज का अगलोकरण किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का आ 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 ने उत्तरानन तथा नियन है—

“(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं वा गतिविधियों के मानसे में वैधता खनन पट्टे के नियादन की तारीख से दिए जाएंगे।”

प्राधिकरण हासा विचार विमर्शी उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना बन आ 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्थीकृति की वैधता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक को उत्तरानन सूचित किया जाए।

2. मेलसं नितिका विनरल्स, प्लॉ-की ब्रैरिस चन्द्राकर (रीमा सेण्ड माईन, ग्राम-रीमा, तहसील-गुण्डारदेही, ज़िला-बालोद), कन्हैयापुरी, रुमाल नगर, कनारीझील, ज़िला-दुर्व (रायपिवालय का नस्ती क्षमांक 1004)

परियोजना प्रस्तावक हासा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वायन फ़ारमांक 1484, दिनांक 15/01/2020 द्वारा गैरकर्तव्य निलिमा मिनरल्स, प्रो.- श्री प्रेसित छन्दोकर रीना सेप्ह भाईन, जो खासरा फ़ारमांक 92(पार्ट) एवं 582(पार्ट), दाम-रीना, तहसील-गुण्डारदही, जिला-बालोद कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में ऐत उत्तराखण्ड अधिकारम 1 नीटर की गहराई तक स्थीमित रखते हुए कुल 49,000 चमकीटद प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की पैचास के संक्षेप में दिनांक 19/01/2023 को यथा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

“ऐत उत्तराखण्ड हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष (दिनांक 15/01/2020 से 14/01/2022) हेतु प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय स्थीकृति के पश्चात् हमारे द्वारा लीज अनुबंध कार्यालय कलेक्टर बालोद जिला बालोद से नियमानुसार कराया गया है जिसकी अवधि 06/05/2020 से 06/05/2022 तक होनी वाली थी जिसका एक वर्ष के सीख नवीनीकरण/विस्तारीकरण पश्चात् लीज अवधि दिनांक 06/05/2020 से 06/05/2023 हो गयी है।

तात्पर्य स्तरीय पर्यावरण समाधार नियांरण प्राधिकरण के पञ्च फ़ारमांक 1338/ई.सी./साप्तपुर./2021 नवा राष्ट्रपुर अटल नगर दिनांक 25/09/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरण स्थीकृति में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के पूर्ण पर्यावरणीय स्थीकृति की विधिसूचना की गणना के प्रयोजन में के लिए विचार नहीं किये जाना है, अतः इता क्षेत्र की पर्यावरण स्थीकृति अवधि 14/01/2023 तक के लिए दीया है।

किन्तु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन बंजारालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार सुनाम परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिया जाना प्रस्तावित है।”

उपरोक्त तथ्यों को व्याप में रखते हुए जारी पर्यावरण अवधि की लीज अनुबंध दिनांक (06/05/2023) तक मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंजारालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है—

“(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।”

प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना उपरांत सर्वसम्मति से जिन्हें किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंजारालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्थीकृति की वैधता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक यो तदानुसार सुचित किया जाए।

3. मैसार्स नितिया मिनरल्स, प्रो.— श्री प्रेरित चन्द्राकर (भरदाल्डुर्द सेप्ह माईन, शाम—भरदाल्डुर्द, तहसील—नुष्ठरदेही, जिला—बालोद), कन्हैयापुरी, सुमाष नगर, कनारीडीह, जिला—दुर्ग (राधिकारात्मक का नस्ती क्रमांक 1003)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छलीशागढ के ज्ञापन क्रमांक 1462, दिनांक 15/01/2020 द्वारा मैसार्स नितिया मिनरल्स, प्रो.— श्री प्रेरित चन्द्राकर भरदाल्डुर्द सेप्ह माईन को पाट और खासग इनांक 01, शाम—भरदाल्डुर्द, तहसील—नुष्ठरदेही, जिला—बालोद, बुल लौज लैंड लैंड 5 हेक्टेयर में ऐत उत्थानन अधिकातम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 फ़ैट्टीटर प्रतिक्वर्ब हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

कार्यालय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 19/01/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथा निम्ननुसार है:-

“ऐत उत्थानन हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष (दिनांक 15/01/2020 से 14/01/2022) हेतु प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय स्थीकृति के पश्चात हमारे द्वारा लौज अनुबंध कार्यालय कलेक्टर बालोद जिला बालोद से नियमानुसार कराया गया है जिसकी अवधि 06/06/2020 से 05/06/2022 प्रदान की गयी थी जिसका एक वर्ष की लौज नवीनीकरण /प्रस्तावीकरण पश्चात लौज अवधि दिनांक 06/06/2020 से 05/06/2023 हो गयी है।

राज्य राजीव पर्यावरण समाप्ति नियमित्यन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1338/ई.नी./रायपुर/2021 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 25/09/2021 के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरण स्थीकृति में 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्ण पर्यावरणीय स्थीकृति की विधिमान्यता की घण्टा के प्रयोजन में के लिए विचार नहीं किया जाना है। आः उक्त लैंड की पर्यावरण स्थीकृति अवधि 14/01/2023 तक के लिए वैध है।

किन्तु पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 के अनुसार खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के विष्यादान की तारीख से दिया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त तथ्यों को व्यान में रखते हुए जारी पर्यावरण अवधि को लौज अनुबंध दिनांक (05/06/2023) तक नाम्य किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 की संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती/दस्तावेज बन जावलोकन किया गया। भाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.अ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथा निम्न है:-

“(i) वैसा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के विष्यादान की तारीख से दिए जाएंगे।”

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का

आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की देखता मान्य होगी।

परियोजना प्रस्तावक को लागूनुसार सूचित किया जाए।

4. श्री प्रमोद लिपारी, आव्याह, छत्तीसगढ़ स्थित फट्टामारी भहारांघ द्वारा "आशीष अद्यवाल के पक्ष में प्राम शिरियालिह तहसील बलीदाबाजार के खसरा नंबर 1472 भाग इकाई 5 हेक्टेयर धोन पर स्थित साधारण रेत का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में" भागदर्शीन लिये जाने वाले।

श्री प्रमोद लिपारी, आव्याह, छत्तीसगढ़ स्थित फट्टामारी भहारांघ द्वारा "आशीष अद्यवाल के पक्ष में प्राम शिरियालिह तहसील बलीदाबाजार के खसरा नंबर 1472 भाग इकाई 5.00 हेक्टेयर धोन पर स्थित साधारण रेत का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के संबंध में" दिनांक 30/01/2023 को भागदर्शीन लिये जाने वाले पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"आशीष अद्यवाल के पक्ष में प्राम शिरियालीह के खसरा इकाई 1472 (भाग) इकाई 5.00 हेक्टेयर धोन पर स्थित साधारण रेत का उत्खनन पट्टा 18/02/2020 से 17/02/2021 तक स्वीकृत है जिसमें छ.ग. गौण स्थित साधारण रेत (व्यवसाय तथा उत्खनन) गियर 2019 के गियर 04 के तहत चूल स्वीकृति अधिकी में एक वर्ष विस्तारित करते हुए उक्त धोन में दिनांक 18/02/2020 से 17/02/2023 तक उत्खनि पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनि पट्टा में रेत उत्खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाज सेवा विभाग प्राधिकरण छ.ग. के सहाय अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 30/01/2020 से 2 वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है एवं नोटिफिकेशन दिनांक 18/01/2021 द्वारा एक वर्ष का वैधता विस्तार दिक्क गया अतः 30/01/2023 तक सहन्ति रैप है।

भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12.04.2022 की पैरा १ (प) में सैख किए गए प्राक्कान "परन्तु उन्नन् परियोजनाओं या योजितियों के बास्ते में वैधता लान यहु के निष्पादन के लियि से दिए जाएंगे" की प्राक्कान के परिपेक्ष में आगह पूर्वक नियेदन है कि भागदर्शी देने की कृपा करें कि पर्यावरण स्वीकृति किस दिनांक से लागू होगी अतः क्षण पर्यावरण सहन्ति 30.01.2020 से 3 वर्षों के लिए रैप है? या तीज अनुकंप दिनांक 18/02/2020 से 3 वर्षों के लिए रैप है?

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संवन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

"(i) पैरा १ में, खानन परियोजनाओं या योजितियों के बास्ते में वैधता लान पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपर्यांत सर्वेताम्भिति से विनियोग किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायन परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का, अ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय त्वीकृति की वैदिकता घास्य होगी।

परिवोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

ऐसके सन्दर्भान्तरे इकापन को जास्त संपन्न हुई।

(आर. पी. शिवारी)

सदस्य सचिव

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)

अधिकारी

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक शिंहा)

सदस्य

राज्य सत्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़